

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 फरवरी 2016-माघ 30, शके 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

विवाह पूर्व मेरा नाम कु. निशा किशोर था, विवाह के बाद मेरा नाम श्रीमती निशा गुप्ता हो गया है. भविष्य में सभी व्यवहारों में मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना जाए.

पुराना नाम :

(निशा किशोर)

(608-बी.)

नया नाम :

(निशा गुप्ता)

W/o डॉ. अजय गुप्ता,

पता : 567, सुदामा नगर, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम आरिफ खान था जो अब परिवर्तित/संशोधित होकर आरिफ खान पटेल हो गया है. अतः भविष्य में मुझे आरिफ खान पटेल के नाम से जाना व पहचाना जावें.

पुराना नाम :

(आरिफ खान)

(609-बी.)

नया नाम :

(आरिफ खान पटेल)

पटेल निवास ग्राम ताजपुर, पोस्ट तोरनोदं,

तहसील एवं जिला धार (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, शपथकर्ता का नाम शैक्षणिक दस्तावेजों में दिनेश कुमार पूनीवाला पिता श्री घनश्यामदास दर्ज है जब कि मैं शपथकर्ता का नाम अब परिवर्तित होकर दिनेश पूनीवाला पिता श्री घनश्यामदास पूनीवाला, निवासी-सुपर डी-513, वार्ड क्रमांक 8 म. प्र. रा. वि. मंडल कॉलोनी, सारनी, जिला बैतूल म.प्र. पिन कोड 460447 से जाना एवं पहचाना जाये.

शासकीय एवं गैरशासकीय दस्तावेजों में भी दिनेश पूनीवाला ही दर्ज है.

अतः मुझे अब दिनेश पूनीवाला के नाम से ही जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम :

(दिनेश कुमार पूनीवाला)

(610-बी.)

नया नाम :

(दिनेश पूनीवाला)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र श्री लवकुश पाल की 10वीं की अंकसूची में मेरा नाम श्रीमती श्यामकली त्रुटिवश अंकित हो गया है। जब कि मेरे अन्य दस्तावेजों में मेरा सही नाम रामकली अंकित है जो कि सही है।

अतः भविष्य में मुझे श्रीमती रामकली पत्नी श्री दिनेश पाल के नाम से ही जाना एवं पहचाना, पढ़ा व लिखा जावे।

पुराना नाम :

(श्यामकली)

(611-बी.)

नया नाम :

(रामकली)

पति श्री दिनेश पाल,
निवासी—ग्राम/पोस्ट छिबौरा,
तहसील रामपुर-बाघेलान, जिला सतना (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरा नाम नीलीमा पाल है जो कि मेरे समस्त दस्तावेजों में लिखा है। शादी के पूर्व मेरा घरेलू नाम पिंकी पाल था जो कि मेरे शादी की पत्रिका में लिखा हुआ होने के कारण मेरे पति के सर्विस रिकॉर्ड में भी लिखा गया है। अतः अब से मुझे मेरे, मेरे पति व बच्चों के समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में नीलीमा पाल के नाम से लिखा-पढ़ा जावे।

पुराना नाम :

(पिंकी पाल)

(612-बी.)

नया नाम :

(नीलीमा पाल)

पति-संजय कुमार पाल,
डी 11/10, महेश गार्ड लाईन,
किला रोड, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का नाम "वंशिका शर्मा" है। उसका नाम मैंने "मिष्ठी शर्मा" रख लिया है। अतः आज दिनांक से मेरी पुत्री को "मिष्ठी शर्मा" पिता आशुतोष शर्मा के नाम से पहचाना जावे। विदित हो।

आशुतोष शर्मा,

(613-बी.)

निवासी-89 ए, पार्श्वनाथ नगर,
पुराना आर. टी. ओ. रोड, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी 10वीं की अंकसूची में मेरा नाम दिनेश पुत्र मुरारीलाल (DINESH S/o MURARI LAL) अंकित है, जबकि मेरी और 12 वीं की अंकसूची में मेरा नाम दिनेश धाकड़ (DINESH DHAKAD) अंकित है तथा बी. ए. फाइनल की अंकसूची में मेरा नाम दिनेश सिंह (DINESH SINGH) अंकित है, जबकि मेरा सही नाम दिनेश सिंह धाकड़ (DINESH SINGH DHAKAD) है जो अन्य दस्तावेजों में अंकित है। अतः भविष्य में मुझे दिनेश सिंह धाकड़ (DINESH SINGH DHAKAD) के नाम से जाना-पहचाना पढ़ा व लिखा समझा जावे।

पुराना नाम :

(दिनेश)

(614-बी.)

नया नाम :

(दिनेश सिंह धाकड़)

अलमारी कारखाने के पास,
दुर्गा विहार कॉलोनी, नादरिया माता रोड,
गुढ़ा कम्पू, लशकर, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी कक्षा 10वीं की अंकसूची में मेरा नाम अरविंद पुत्र परमाल सिंह (ARVIND S/o PARMAL SINGH) अंकित है एवं कक्षा 12वीं, बी. ई. की अंकसूची एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम अरविंद सिंह धाकड़ (ARVIND SINGH DHAKAR) अंकित है. जो कि सही है. अतः भविष्य में मुझे अरविंद सिंह धाकड़ (ARVIND SINGH DHAKAR) के नाम से जाना-पहचाना, लिखा वह समझा जाए.

पुराना नाम :

(अरविंद)

(615-बी.)

नया नाम :

(अरविंद सिंह धाकड़)

चौरसिया कॉलोनी गुढ़ा,
अलमारी कारखाने के पास,
लशकर, ग्वालियर (म.प्र.).

सूचना

मैं, विलास पिता नाना सलगर, निवासी चिंचाला लालबाग, बुरहानपुर मध्यप्रदेश सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मैंने अपना नाम परिवर्तित कर शशिकांत पिता नाना सलगर रख लिया है तथा मैं भविष्य में अपने नवीन नाम शशिकांत पिता नाना सलगर का उपयोग अपने समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय अभिलेखों के लिये करूंगा तथा मुझे इसी नाम से जाना एवं पहचाना जायेगा.

सूचना जाने.

पुराना नाम :

(विलास)

पिता नाना सलगर.

(616-बी.)

नया नाम :

(शशिकांत)

पिता नाना सलगर.

नाम परिवर्तन

मैं, सुधीर सागर आत्मज श्री पी. व्यंकटराव, निवासी-3/35-36, अम्बेडकर नगर, भोपाल में पूर्व में मेरा नाम सुधीर सागर था. जो अब सुधीर सिरसाट हो गया है. सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में यही नाम लिखा/पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(सुधीर सागर)

(618-बी.)

नया नाम :

(सुधीर सिरसाट)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती शिवाली बालानी पत्नी श्री जितेन्द्र बालानी, आयु लगभग 39 वर्ष, निवासी म. नं. 7, ग्लोबस फैंब सिटी, चूना-भट्टी कोलार रोड, भोपाल म.प्र. में निवासरत हूँ. मेरा विवाह श्री जितेन्द्र बालानी के साथ हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार दिनांक 09-12-1996 को संपन्न हुआ है, मेरे विवाह पूर्व के समस्त शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा पूर्व नाम दिव्या कृष्णानी पुत्री श्री देवराज कृष्णानी दर्ज है. दिव्या कृष्णानी व शिवाली बालानी एक ही व्यक्ति है विवाहोपरांत से वर्तमान में मुझे श्रीमती शिवाली बालानी पत्नी श्री जितेन्द्र बालानी के नाम से जाना व पहचाना जाता है तथा भविष्य में इसी नाम से जाना व पहचाना जावेगा. अतः सर्व-साधारण को इस जाहिर सूचना प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि दिव्या कृष्णानी पुत्री श्री देवराज कृष्णानी को भविष्य में श्रीमती शिवाली बालानी पत्नी श्री जितेन्द्र बालानी जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(दिव्या कृष्णानी)

पुत्री श्री देवराज कृष्णानी.

(619-बी.)

नया नाम :

(शिवाली बालानी)

पत्नी-श्री जितेन्द्र बालानी,
म. नं. 7, ग्लोबस फैंब सिटी,
चूना-भट्टी कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे व्यवहारी अनुराग जैन पुत्र स्व. श्री रतनचन्द्र जैन (बरोही वाले) निवासी देवनगर कॉलोनी, पेच नं. 2, इटावा रोड, भिण्ड का शैक्षणित दस्तावेज, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, आधार कार्ड में अनुराग जैन लिखा हुआ है. बचपन में घनश्यामदास जैन के नाम से पुकारते थे. इसलिए घनश्यामदास नाम से जाना जाता है. मेरे व्यवहारी के प्रतिष्ठान पर शाह रतनचन्द्र घनश्यामदास लिखा है.

मेरा व्यवहारी घनश्यामदास के नाम से भी हस्ताक्षर करता है। एक ही व्यक्ति का नाम अनुराग जैन व घनश्यामदास है। इसलिए अनुराग जैन उर्फ घनश्यामदास जैन पुत्र स्व. श्री रतनचन्द्र जैन के नाम से जाना जावे। मेरे व्यवहारी के दोनों ही नाम मान्य किये जावें। प्रकाशित कर सूचित किया जाता है कि यह प्रकाशन आम सूचना, शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं द्वारा भी मान्य किया जावे।

अनुराग जैन उर्फ घनश्यामदास जैन
पुत्र स्व. श्री रतनचन्द्र जैन (बरोही वाले)
निवासी—देवनगर कॉलोनी, पेच नं. 2,
इटावा रोड, भिण्ड, जिला भिण्ड (म. प्र.)
द्वारा—अभिभाषक
प्रेमनारायण शुक्ला
(एडवोकेट)
कार्यालय—विद्या सदन, देवनगर कॉलोनी,
भिण्ड (म. प्र.)

(617-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स श्रीराम एसोसियेट्स, स्थित 3, तेजेन्द्रनाथ की गली, दाल बाजार, लशकर, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00151/12, दिनांक 01 नवम्बर, 2012 है। जिसमें दिनांक 31-12-2015 को भागीदार (1) श्रीमती शकुन्तला अग्रवाल पत्नि श्री रामजी दास अग्रवाल, निवासी तेजेन्द्रनाथ की गली, दाल बाजार, ग्वालियर, (2) श्री जयदीप अग्रवाल पुत्र श्री जगदीश अग्रवाल, निवासी नया बाजार, ग्वालियर, (3) श्री अरविन्द अग्रवाल पुत्र श्री किशन गोपाल अग्रवाल, निवासी गीता कॉलोनी, दाल बाजार, ग्वालियर अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 01-12-2015 से श्रीमती हेमलता अग्रवाल पत्नि स्व. श्री बालकिशन अग्रवाल, निवासी नई सड़क, लशकर, ग्वालियर फर्म में सम्मिलित हो गयी हैं, सर्वजन एवं आमजन सूचित हों।

मनीष अग्रवाल

(भागीदार)

फर्म श्रीराम एसोसियेट्स

दाल बाजार, लशकर, ग्वालियर.

(620-बी.)

जाहिर सूचना

हमारे पक्षकार रिच ग्रीन एगो साईंस के भागीदार श्रीमती योगिता कदम पति दीपक कदम एवं श्रीमती दीपीका यादव पति यशवंत यादव द्वारा भागीदारी का व्यवसाय पता 229, अरण्य सेक्टर-बी, एस-3, स्कीम नं. 78, विजय नगर, इन्दौर से संचालित किया जाता रहा था। सदर भागीदारी फर्म का दिनांक 01-01-2015 को विधिवत् रूप से दोनों भागीदारों की सहमति से विघटन हो चुका है। अब किसी तरह स्ने फर्म द्वारा किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि संचालित नहीं की जाती है। भागीदारी फर्म बाबद किसी व्यक्ति, संस्था आदि का कोई लेन-देन शेष नहीं है। विदित हों।

संगीता गुप्ता,

(एडवोकेट)

426, विक्रम टॉवर, सपना-संगीता, इंदौर.

(621-बी.)

PUBLIC NOTICE

Public Notice is hereby given that from Partnership Firm M/S. M.M. Associates, B/689 Dhanwantari Nagar, Garha Jabalpur M.P. having Registration No. is 04/14/01/0272/15, dated 27/02/2015. Shri Dinesh Mishra S/O. Shri Ramnath Mishra, Dhanwantari Nagar, Garha Jabalpur have Retired from firm w.e.f. 15.11.2015. and Shri Harshit Pandey S/o. Shri Ram Kumar Pandey, 25 APR Society Narmada Road Jabalpur have joined the firm from 15.11.2015 and now in the Partnership Firm there are following partners:-

1. Smt. Aradhna Mishra D/o. Late Shri Dr. Shiv Sagar Mishra
2. Smt. Vandana Khampariya D/o. Shri Mathura Prasad Tiwari
3. Shri Harshit Pandey S/o. Shri Ram Kumar Pandey

For-M/s. M. M. Associates

VANDANA KHAMPARIYA,

(Partner).

(622-बी.)

जाहिर सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स विजय कंस्ट्रक्शन कंपनी फर्म के (1) श्री कमलेश चौकसे पिता श्री बुद्धेश्वर चौकसे, (2) श्री अमित चौकसे पिता श्री भीमसिंह चौकसे, दोनों निवासी—ग्राम-बुढ़ानिया, देपालपुर रोड, तहसील हातोद, जिला इन्दौर (म. प्र.) भागीदार थे तथा दोनों व्यक्ति भागीदार फर्म से सेवानिवृत्त हो गये हैं। यह कि, कोई भी व्यक्ति मेसर्स विजय कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से इनसे किसी भी प्रकार का कोई लेन-देन नहीं करे। यदि किया जाता है उसकी समस्त जवाबदारी उक्त व्यक्ति की ही रहेगी।

मेसर्स विजय कंस्ट्रक्शन कंपनी,
हरीश चौकसे,

(623-बी.)

पता—244-ए, वीणा नगर, सुखलिया, इन्दौर (म. प्र.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकारन कि मैसर्स गुरूचरण सिंह बलदेव सिंह फर्म जिसका पता न्यू बस स्टेण्ड, विदिशा (म. प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 1446, दिनांक 19-10-1979 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है जिसके भागीदार श्रीमति बलजीत कौर पत्नि श्री सरदार गुरूचरण सिंह, 2. सरदार रूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री सरदार गुरूचरण सिंह, 3. श्रीमति सुखप्रीत कौर पत्नि श्री चेतनजीव सिंह तत्पश्चात् 01-04-2014 भागीदारी संशोधन लेख द्वारा सरदार तेजेन्द्र सिंह पुत्र श्री सरदार गुरूचरण सिंह, 2. श्रीमति परमजीत कौर पत्नि श्री सरदार तेजेन्द्र सिंह, 3. तेजेन्द्र सिंह कर्ता पिता सरदार गुरूचरण सिंह भागीदारी फर्म में मैसर्स गुरूचरण सिंह बलदेव सिंह में सम्मिलित हुए हैं। मैसर्स गुरूचरण बलदेव सिंह—

1. श्रीमती बलजीत कौर पत्नि श्री सरदार गुरूचरण सिंह, 2. सरदार रूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री सरदार गुरूचरण सिंह, 3. श्रीमति सुखप्रीत कौर पत्नि श्री चेतनजीव सिंह, 4. सरदार तेजेन्द्र सिंह पुत्र श्री सरदार गुरूचरण सिंह, 5. श्रीमति परमजीत कौर पत्नि श्री सरदार तेजेन्द्र सिंह, 6. तेजेन्द्र सिंह कर्ता पिता श्री सरदार गुरूचरण सिंह—पार्टनर.

द्वारा—सुरजीत सिंह सिकरवार
(अभिभाषक)

(624-बी.)

एम 71, इन्द्रकॉम्प्लेक्स, विदिशा.

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकारन कि फर्म मैसर्स शक्ति ट्रांसपोर्ट सर्विस, जिसका पता न्यू बस स्टेण्ड, विदिशा (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 1200, दिनांक 27-10-1973 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है जिसके भागीदार श्री गुरूचरण सिंह पुत्र बसंत सिंह, 2. सरदार तेजेन्द्र सिंह पुत्र सरदार गुरूचरण सिंह. तत्पश्चात् 01-04-2014 भागीदारी संशोधन लेख द्वारा श्रीमती बलजीत कौर पत्नि सरदार गुरूचरण सिंह, 2. श्रीमति सुखप्रीत पत्नि श्री चेतनजीव सिंह भागीदारी फर्म में मैसर्स शक्ति ट्रांसपोर्ट सम्मिलित हुए हैं। मैसर्स शक्ति ट्रांसपोर्ट—

1. श्री गुरूचरण सिंह पुत्र बसंत सिंह सरदार, 2. सरदार तेजेन्द्र सिंह पुत्र सरदार गुरूचरण सिंह (पृथक् हो गये हैं) 3. श्रीमती बलजीत कौर पत्नि सरदार गुरूचरण सिंह, 4. श्रीमति सुखप्रीत कौर पत्नि श्री चेतनजीव सिंह—पार्टनर.

द्वारा—सुरजीत सिंह सिकरवार
(अभिभाषक)

(625-बी.)

एम 71, इन्द्रकॉम्प्लेक्स, विदिशा.

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स हर्ष इन्टरप्राईजेज, पता राजा की मंडी, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक 180, दिनांक 5-4-1999 है. जिसमें दिनांक 01-11-2015 को भागीदार श्री विशाल शर्मा पुत्र स्व. श्री सी. पी. शर्मा, निवासी राजामंडी, ग्वालियर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 01-11-2015 से सुधा गौड़ पत्नि श्री सुरेन्द्र कुमार गौड़, निवासी राजा की मंडी, ग्वालियर में सम्मिलित हो गई हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

सुरेश कुमार गौड़
(भागीदार)

(626-बी.)

फर्म—हर्ष इन्टरप्राईजेज,
राजा की मंडी, ग्वालियर.

PUBLIC NOTICE

This is to inform that M/s R.K. Patel & Co., having office at T.S. 37, Navlakha, Indore (M.P.), a partnership firm incorporated on 11-01-1972, originally having four partners (1) Shri Ramjibhai Patel, (2) Shri Ishwarbhai Patel, (3) Shri Kailashchandra Patel & (4) Smt. Neetaben Patel. That one of the partners Shri Ramjibhai Patel no longer as a

partner of the firm due to his sad demise on 23.09.2012. That two new partners Shri Pushkar Patel & Shri Hemant Patel entered the firm as new (incoming) partners on 23.09.2012 for the effective functioning of the firm with mutual consent of the remaining partners. This public notice is being published for the purpose of information and for the sake of the public.

For-R. K. Patel & Co.

KAILASH CHANDRA PATEL

(Partner).

(627- B.)

PUBLIC NOTICE

This is to inform that M/s Harsh Construction Company, having office at, C/o Baihar Road Near Petrol Pump Awalajhari Tehsil & Distt-Balaghat (M.P.), a partnership firm incorporated on 10/05/2010, having two Partners as Shri Raj Kumar Kawre & Shri Labesh Gharde representing M/s Wainganga Construction Company. With effect from 01/04/2014, Shri Vinod Sharma is admitted as a partner in the firm .Now the 3 partners of the firm are Shri Raj Kumar Kawre & Shri Labesh Gharde representing in individual capacity and Shri Vinod Sharma . This public notice is being published for the purpose of registration of change in constitution of the firm with the office of Registrar of Firms and Society.

For—M/s Harsh Construction Company

RAJ KUMAR KAWRE,

(Partner).

(628- B.)

आम सूचना

मेरे पक्षकार श्री जयदीप देवानी आत्मज श्री देवीदास देवानी, निवासी 1141, पचपेड़ी दक्षिण, सिविल लाईन, जबलपुर जो कि फर्म कनैल गैस सेवा, मदन महल, जबलपुर में भागीदार हैं. उपरोक्त फर्म की अन्य भागीदार कुमारी जया चौधरी आत्मजा स्व. श्री वाई. एस. चौधरी श्री जिधसान, 7 मई, 2015 को हो गया है और उनका कोई उत्तराधिकारी न होने से, मेरे पक्षकार जयदीप देवानी उपरोक्त फर्म के एकमात्र भागीदार होने से फर्म के प्रोपराईटर होकर समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं अन्य विभागों में प्रोपराईटर की हैसियत से कार्य करने हेतु अधिकृत होंगे. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को मेरे पक्षकार के उक्त फर्म के प्रोपराईटर होने के संबंध में कोई आपत्ति हो तो इस आम सूचना के प्रकाशन के सात दिवस के भीतर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी.

सुनील विश्वकर्मा

(अधिवक्ता)

पता—एम-24, न्यू साहिब परिसर, अनमोल हाईट के पहले,

न्यू रामनगर, आधारताल, जबलपुर.

(629-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, परगना-गुना

प्र. क्र. 01/बी-113/2015-16/659.

गुना, दिनांक 30 जनवरी, 2016

एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि अध्यक्ष, अवधेश रघुवंशी पुत्र श्री हरिराम रघुवंशी, निवासी-दलवी नगर, कॉलोनी, गुना अध्यक्ष, रोटरी रॉयल पारमार्थिक न्यास सेवा, गुना की ओर से अभिभाषक श्री राहुल पांडेय द्वारा ट्रस्ट गठन पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र लोक न्यास अधिनियम, धारा-4 व 5 के अंतर्गत के अंतर्गत प्रस्तुत किया है.

उपरोक्त आवेदन के संबंध में जिस किसी व्यक्ति एवं संस्था को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह प्रकरण में नियत दिनांक 18 फरवरी, 2016 तक अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. उक्त दिनांक निकल जाने के उपरांत किसी प्रकार की कोई भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा तथा प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जायेगी.

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 21 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

दिनेश चंद्र शुक्ला,

अनुविभागीय अधिकारी.

(116)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी/पंजीयक, पब्लिक ट्रस्ट, बरेली, जिला रायसेन

[धारा-5 (2) मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (30 सन् 1951) और 5 (1) मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट 1962 के अन्तर्गत]

मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अनुसूची में दिये गये जायदाद मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा उपधारा (4) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट है.

अतएव मैं, ओ. पी. सोनी, पंजीयक, ट्रस्ट उक्त एक्ट की धारा-5 की उपधारा (1) के अनुसार अपने न्यायालय में दिनांक 23 मार्च, 2015 इस मामले की जांच करना चाहता हूँ.

अतः यह सूचना दी जाती है कि निम्नांकित ट्रस्ट का कोई व्यक्ति ट्रस्ट की कार्यवाही में सदस्य या अन्य कोई व्यक्ति रुचि रखने वाला आपत्ति या सुझाव प्रकट करना चाहता है तो लिखित उत्तर दो प्रतियों में सूचना प्रकाशन की एक माह की अवधि के अन्दर प्रस्तुत करें और उपरोक्त दिनांक को स्वयं या किसी अधिवक्ता या अधिकृत एजेन्ट द्वारा न्यायालय में उपस्थित हो. उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों में कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अधिसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता और चल-अचल सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम व पता सनातन धर्म प्रचार ट्रस्ट साकेत धाम आश्रम
श्री राम मंदिर चारगांव पोस्ट हरसिली,
तहसील बरेली, जिला रायसेन मध्यप्रदेश.

(1) कार्यकारी न्यासी एवं प्रबंधकों का विवरण .—

1. महंत गरीबदास-शिष्य नृसिंगदासजी महाराज (संरक्षक)
2. महंत शिवदास शिष्य गरीबदास जी महाराज (अध्यक्ष)
3. महंत गिरीश दास शिष्य मधुसूदनदास (सचिव)
4. महंत श्री रामा मोहनदास शिष्य मदनमोहनदास (सदस्य)
5. श्री रामगोपाल रजक आ. टन्टू लाल रजक (सदस्य)
6. महंत नारायण दास शिष्य गरीबदास (सदस्य)
7. श्री राजीव रजक आ. रामगोपाल रजक (सदस्य)

न्यास के संबंध में यदि कोई स्कीम हो तो उसके ब्यौरे संलग्न दस्तावेज न्यास विलेख के अनुसार रहेंगे.

(अ) अचल सम्पत्ति का विवरण :-

- अ. भूमि सर्वे क्र. 326 रकबा 0.50 एकड़ अनुमानित कीमत 5 लाख रुपया.
- ब. भूमि सर्वे क्र. 337/1 रकबा 6.00 एकड़ अनुमानित कीमत 60 लाख रुपया.
- स. भूमि सर्वे क्र. 337/2/1 रकबा 1.50 एकड़ अनुमानित कीमत 15 लाख रुपया.
- द. भूमि सर्वे क्रमांक 325 रकबा 0.340 हे. में से 0.40 एकड़ अनुमानित कीमत 2 लाख रुपये जिसमें मंदिर भी निर्मित है.
- इ. मंदिर भवन पक्का सीमेन्ट तथा कॉंक्रीट से निर्मित क्षेत्रफल 41 वाय 41=1641 वर्गफुट मूल्य 20 लाख रुपये.
- द. धर्मशाला 2 मंजिला 100 फुट लम्बी तथा 72 फुट चौड़ी अनुमानित मूल्य 50 लाख रुपये जिसमें चार कमरे अन्दर तथा 3 कमरे बाहर, बाथरूम लेट्रिंग संलग्न है. धर्मशाला चारो तरफ चारदीवारी से घिरी हुई है. जिसकी ऊंचाई 5 फिट है.
- ई. धर्मशाला के कम्पाउण्ड में ट्यूबवेल स्थित है अनुमानित कीमत 40 हजार रु.
- फ. मंदिर में स्वतंत्र रूप से रामदरवार शिवपार्वती, हनुमान जी, गणेश जी, माँ दुर्गादेवी एवं राधाकृष्ण की मूर्तियाँ स्थापित हैं. अनुमानित कीमत 5 लाख रु. उक्त सम्पत्ति ग्राम चारगाँव में स्थित है.

(ब) चल सम्पत्ति का विवरण :-

3 चांदी के मुकुट वजन एक किलो मूल्य 40,000 रु., 5 घण्टा-घडियाल मूल्य 2000 रु., 4 घंटी पीतल मूल्य 2000 रु., शंख-मूल्य 500 रु., माईक मशीन मय बैटरी मूल्य 2500 रु., ढोलक, हारमोनियम-मजीरा, मूल्य 2000 रु., अनाज की टंकी मूल्य 2000 रु., थाली कौसा-2 मूल्य 2000 रु., गिलास कौसा 5 नग मूल्य 2000 रु., कटोरी, लकड़ी के तखत 3 नग मूल्य 5000 रु. पंखा 3 मूल्य 1500 रु., कूलर एक मूल्य 1500 रु., पाईप चालीस मूल्य 15000 रु., नोजल 20 नग मूल्य 10,000 रु., विद्युत मोटर मूल्य 30 हजार रु.

(2) न्यास की आय के स्रोत :-

1. कृषि भूमि से न्यास को प्रतिवर्ष	1,00,000 रु.
2. दानपुण्ड से लगभग	20,000 रु.
3. विविध	30,000 रु.
4. कुल योग	<u>1,50,000 रु.</u>

5. न्यास की प्रमुख आमदानी का स्रोत न्यासी सदस्यों एवं दान दाताओं द्वारा दान की गई धनराशि है इसके अतिरिक्त न्यास शासन प्रदेश केन्द्र निगमित निकाय एवं अन्य किसी सार्वजनिक एवं निजी संस्थाओं से अनुदान प्राप्त करेगा.

(3) औसत वार्षिक आय :- 1,00,000 रु. (अक्षरी एक लाख रुपए प्रतिवर्ष).

न्यास की सदस्यता प्रबंध कारकों का गठन, उद्देश्य, दैनिक कार्यों की देखरेख वित्तीय कार्यों की देखरेख, पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य से संबंधित है.

उक्त प्रस्तावित न्यास के सदस्यों/प्रबंधकों के सम्बन्ध में भी यदि किसी को आपत्ति हो वह दिनांक 30 नवम्बर, 2015 को अथवा उसके पूर्व स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है.

ओ. पी. सोनी,

पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(117)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, जिला पन्ना

पन्ना, दिनांक 21 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./15/101.— कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, जिला पन्ना मध्यप्रदेश के कार्यालयीन पूर्व आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नांकित सहकारी संस्थाओं का आदेश क्र/परि./2015/1000, पन्ना, दिनांक 31 जुलाई, 2015 द्वारा मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश/दिनांक	संशोधित आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	आदर्श ईट-भट्टा सह. समि. मर्या., बिल्हा	A.R.P. 610/05-10-2004	1510/14-12-2012	1000/31-07-2015
2.	आदर्श ईट-भट्टा सह. समि. मर्या., पुरैना	A.R.P. 619/25-02-2005	1502/14-12-2012	1000/31-07-2015
3.	देशी-विदेशी मदिरा क्रय-विक्रय सह. समि. मर्या., पन्ना.	A.R.P. 638/30-12-2008	1514/14-12-2012	1000/31-07-2015
4.	सहेली महिला साख सह. समि. मर्या., अजयगढ़.	A.R.P. 642/13-11-2009	1512/14-12-2012	1000/31-07-2015
5.	आदि. मत्स्य सह. समि. मर्या., रमपुरा	A.R.P. 635/27-03-2008	1509/14-12-2012	1000/31-07-2015

उक्त सहकारी संस्थाओं का पूर्व परिसमापक/अध्यक्ष/सचिव आदि द्वारा मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी रिकार्ड, दस्तावेज आदि का चाज प्राप्त नहीं हुआ है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (17 वां) सन् 1961 की धारा-71 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अंतर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि, उक्त समितियों के विरुद्ध जो भी लेनदारी हो, प्रमाण सहित अपने दावे आदि यदि कोई हों, तो इस सूचना प्रकाशित होने के दो माह की अवधि में मेरे समक्ष मेरे कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, उक्त अवधि के पश्चात प्रस्तुत दावों पर कोई उजरदारी मान्य नहीं होगी और संस्थाओं के उपलब्ध पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों में लेखबद्ध समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का उक्त उल्लेखित विधान एवं नियमों के अंतर्गत परिसमापक को विधिवत् प्रस्तुत किया गया ऐसा समझा जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि, उपरोक्त लिखित सहकारी समितियों से संबंधित कोई भी कागजात, सामान, देनदारियां आदि किसी भी सदस्य/व्यक्ति के पास हों, तो वे इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 1 सप्ताह के अन्दर उल्लेखित कार्यालय में मेरे पास जमा कर दें, समयावधि के भीतर कागजात व सामान जमा न करने पर वे जुर्म के भागीदार होंगे तथा मेरे द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना को प्रेषित कर दिया जावेगा।

एस. एस. दीक्षित,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(104)

कार्यालय परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी सहकारिता, जिला झाबुआ

झाबुआ, दिनांक 14 दिसम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के उपनियम-57(1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/1.—कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला झाबुआ के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	ईट निर्माण सहकारी संस्था मर्या., पोचक	766/30-12-1992	979/18-09-2002
2.	धुधरी बुनकर सहकारी संस्था मर्या., धुधरी	452/29-05-1992	1139/31-10-2003
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., वडलीपाडा	930/26-08-1996	213/18-03-2014
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उमरकोट	534/16-03-1984	307/16-04-2012

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के नियम-1962 के उपनियम-57 (1) (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अन्दर मय प्रमाण के मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा। तदनुसार समिति की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयं में व मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 14 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया है।

व्ही. एस. चौहान,
परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी.

(105)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70(1) के अन्तर्गत]

आदेश में वर्णित प्रारूप अनुसार सहकारी समितियों को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र समितियों के अकार्यशील होने अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से "डी" वर्ग प्राप्त होने समितियों द्वारा अधिनियमों एवं नियमों के पालन न करने से एवं समितियों के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रूचि न लेने से जारी किया गया था। जारी सूचना-पत्र की अवधि व्यतीत हो जाने उपरांत भी संस्था की ओर से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को प्रेषित कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं सूचना-पत्र के आरोप स्वीकार हैं।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगोन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा अधिनियम-69 (3) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

समितियों की नियमानुसार परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समितियों अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत प्रारूप के कॉलम 06 में उल्लेखित अधिकारी को समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

प्रारूप

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र./दिनांक	विकास खण्ड	जारी सूचना पत्र क्र. व दिनांक	नियुक्त परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5	6
1.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., अंबाखेडा.	1460/21-12-2005	भगवानपुरा	1103/04-09-2013	श्री बी.एल. सोलंकी, सह. विस्तार अधि.
2.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., काबरी.	1274/31-01-2004	भगवानपुरा	985/23-08-2013	श्री बी.एल. सोलंकी, सह. विस्तार अधि.
3.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., भुलवानिया.	1461/21-10-2005	भगवानपुरा	1002/23-08-2013	श्री बी.एल. सोलंकी, सह. विस्तार अधि.
4.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., करही.	1499/12-03-2007	भगवानपुरा	983/23-08-2013	श्री बी.एल. सोलंकी, सह. विस्तार अधि.
5.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., मांडवखेडा.	1498/22-01-2007	भगवानपुरा	981/23-08-2013	श्री बी.एल. सोलंकी, सह. विस्तार अधि.
6.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., जामन्यापानी.	1500/12-06-2006	भगवानपुरा	979/23-08-2013	श्री बी.एल. सोलंकी, सह. विस्तार अधि.
7.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., गढी.	1513/11-06-2007	भगवानपुरा	998/23-08-2013	श्री बी.एल. सोलंकी, सह. विस्तार अधि.
8.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., मोगरगांव.	1518/11-06-2007	भगवानपुरा	977/23-08-2013	श्री बी.एल. सोलंकी, सह. विस्तार अधि.
9.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., ढाबला.	1520/15-06-2007	भगवानपुरा	996/23-08-2013	श्री बी.एल. सोलंकी, सह. विस्तार अधि.
10.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., रसगांगली.	1521/25-07-2007	भगवानपुरा	997/23-08-2013	श्री बी.एल. सोलंकी, सह. विस्तार अधि.
11.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., पोखरखुर्द.	1528/07-09-2007	भीकनगांव	987/23-08-2013	श्री नवीन मुहावरे, सह. विस्तार अधि.
12.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., रोडिया.	1500/12-03-2006	भीकनगांव	988/23-08-2013	श्री नवीन मुहावरे, सह. विस्तार अधि.
13.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., पोखरबुजुर्गा.	1316/15-01-2002	भीकनगांव	984/23-08-2013	श्री नवीन मुहावरे, सह. विस्तार अधि.
14.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., सांगवी.	1530/07-09-2007	खरगौन	978/23-08-2013	श्री बी.एल. सोलंकी, सह. विस्तार अधि.
15.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., मर्दाना.	1416/12-04-2005	बडवाह	1124/04-09-2013	श्री मनोहर वास्कले, सह. विस्तार अधि.

यह आदेश आज दिनांक 12 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया .

बी. एस. अलावा,
उप-पंजीयक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन क्रमांक/दिनांक
1.	माँ नर्मदा फल कृषि एवं साग-सब्जी सहकारी संस्था मर्या., खातेगाँव, तहसील खातेगाँव, जिला देवास.	38/14-02-2015	2015/1927/18-11-2015

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्था के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो, तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं ए. बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक, संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो, तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो सम्बंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 23 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

आर. के. सोनी,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(107)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार

धार, दिनांक 31 जुलाई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/1231.— इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2000/1584 धार, दिनांक 22 अगस्त, 2000 के द्वारा पुलिस विभाग शासकीय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., धार, तहसील व जिला धार (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 668, दिनांक 13 सितम्बर, 1985 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री पी. सी. दुबे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, धार को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत पुलिस विभाग शासकीय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., धार, तहसील व जिला धार (म.प्र.) का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 जुलाई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

ओ. पी. गुप्ता,

उप-रजिस्ट्रार.

(131)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
सरिता महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या.,
मेहगांव, ग्वालियर.

सरिता महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मेहगांव, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./962, दिनांक 30 जुलाई, 2014 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई हैं :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 27 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 27 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(118)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
अजय प्रकाशन मुद्रण वितरण सहकारी संस्था
मर्या., ग्वालियर.

अजय प्रकाशन मुद्रण वितरण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./236, दिनांक 29 दिसम्बर, 1995 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई हैं :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 27 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 27 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(118-A)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,
आरोन, ग्वालियर.

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आरोन, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./501, दिनांक 31 अगस्त, 1989 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :-

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 27 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 27 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(118-B)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
गिर्राज यातायात सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

गिर्राज यातायात सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./202, दिनांक 26 जून, 1993 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :-

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 27 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 27 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(118-C)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
महालक्ष्मी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था
मर्या., डबरा बुजुर्ग, ग्वालियर.

महालक्ष्मीधाम महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., डबरा बुजुर्ग, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./933, दिनांक 05 फरवरी, 2004 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 27 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 27 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(118-D)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
कृष्णा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था
मर्या., ररूआ, ग्वालियर.

कृष्णा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., ररूआ, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./942, दिनांक 16 अप्रैल, 2004 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 27 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 27 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(118-E)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
जय माँ वैष्णो बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,
डबरा, ग्वालियर.

जय माँ वैष्णो बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डबरा, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./417, दिनांक 22 मार्च, 2012 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 27 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 27 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(118-F)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
तानसेन फिल्म उद्योग सहकारी संस्था
ग्वालियर.

तानसेन फिल्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./12, दिनांक 09 फरवरी, 1984 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 27 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 27 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(118-G)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,
देवरीकंला, ग्वालियर.

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवरीकंला, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./505, दिनांक 31 मार्च, 1993 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :-

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 27 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 27 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(118-H)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
डॉ. अम्बेडकर रफ्तार योजना परिवहन उद्योग
सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

डॉ. अम्बेडकर रफ्तार योजना परिवहन उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./207, दिनांक 16 नवम्बर, 1993 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :-

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 27 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 27 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(118-I)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
साग-सब्जी, फल-फूल उत्पादक एवं विपणन
सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

साग-सब्जी, फल-फूल उत्पादक एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./199, दिनांक 06 नवम्बर, 2001 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 27 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 27 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(118-J)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
महिला होजरी उद्योग सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

महिला होजरी उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./926, दिनांक 29 मार्च, 2003 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 27 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 27 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(118-K)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
इन्द्रागांधी महिला बहुउद्देशीय सहकारी
संस्था मर्या., घई, ग्वालियर.

इन्द्रागांधी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., घई, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./903, दिनांक 26 मार्च, 2001 है। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 27 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 27 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(118-L)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
अनुसूचित जाति, जनजाति कामगारों की सहकारी संस्था
मर्या., आरोन, ग्वालियर.

अनुसूचित जाति, जनजाति कामगारों की सहकारी संस्था मर्या., आरोन, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./709, दिनांक 02 जुलाई, 1994 है। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 27 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 27 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(118-M)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
दि टेलीग्राफ क्रेडिट एम्पलाईज
को-आपरेटिव सोसायटी ग्वालियर.

दि टेलीग्राफ क्रेडिट एम्पलाईज को-आपरेटिव सोसायटी ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./356, दिनांक 21 दिसम्बर, 1996 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :-

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 27 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 27 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(118-N)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
महामाई दुर्गा महिला बहुउद्देशीय सहकारी
संस्था मर्या., किटौरा पिछोर, ग्वालियर.

महामाई दुर्गा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., किटौरा पिछोर, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./963, दिनांक 16 जुलाई, 2004 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :-

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 27 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 27 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(118-O)

ग्वालियर, दिनांक 27 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,
चीनौर, ग्वालियर.

क्र./परि./2016/281.—तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चीनौर, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./754, दिनांक 31 अगस्त, 1994 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :-

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 27 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 27 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते है. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(118-P)

ग्वालियर, दिनांक 27 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
पीताम्बरा प्रिंटिंग प्रेस सहकारी संस्था
मर्या., ग्वालियर.

क्र./परि./2016/282.—पीताम्बरा प्रिंटिंग प्रेस सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./354, दिनांक 08 सितम्बर, 2003 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :-

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 27 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 27 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते है. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(118-Q)

ग्वालियर, दिनांक 27 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
अनुसूचित जनजाति मत्स्योद्योग सहकारी
संस्था मर्या., मोहना, ग्वालियर.

क्र./परि./2016/283.—अनुसूचित जनजाति मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., मोहना, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./397, दिनांक 26 जून, 2006 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 27 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 27 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयबाध में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(118-R)

ग्वालियर, दिनांक 27 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
उदय बुनकर सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2016/284.—उदय बुनकर सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./25, दिनांक 13 जनवरी, 1989 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 27 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 27 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयबाध में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(118-S)

ग्वालियर, दिनांक 27 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,
कछौआ, ग्वालियर.

क्र./परि./2016/285.—तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कछौआ, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./526, दिनांक 05 फरवरी, 1990 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 27 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 27 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(118-T)

ग्वालियर, दिनांक 27 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
हरिओम महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या.,
बेहट, ग्वालियर.

क्र./परि./2016/286.—हरिओम महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बेहट, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./972, दिनांक 24 मई, 2001 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 27 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 27 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(118-U)

ग्वालियर, दिनांक 27 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
संध्या महिला बहुउद्देशीय सहकारी
संस्था मर्या., डबरा, ग्वालियर.

क्र./परि./2016/287.—संध्या महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., डबरा, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./104, दिनांक 16 मार्च, 2001 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 27 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 27 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(118-V)

ग्वालियर, दिनांक 27 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या.,
गढ़ी पिछोर, ग्वालियर.

क्र./परि./2016/288.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., गढ़ी पिछोर, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./142, दिनांक 18 जून, 2004 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 27 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 27 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(118-W)

ग्वालियर, दिनांक 27 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
श्री महालक्ष्मी दीप, मोमबत्ती एवं अगरवत्ती उद्योग
सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

क्र./परि./2016/289.— श्री महालक्ष्मी दीप, मोमबत्ती एवं अगरवत्ती उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./304, दिनांक 26 सितम्बर, 2002 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 27 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपकी अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 27 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(118-X)

ग्वालियर, दिनांक 27 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
विध्यांचल गोली विस्कुट उद्योग सहकारी
संस्था मर्या., ग्वालियर.

क्र./परि./2016/290.— विध्यांचल गोली विस्कुट उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./283, दिनांक 11 जून, 1997 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 27 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपकी अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 27 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(118-Y)

ग्वालियर, दिनांक 27 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
अन्नपूर्णा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था
मर्या., सेथरी, ग्वालियर.

क्र./परि./2016/291.—अन्नपूर्णा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सेथरी, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./911, दिनांक 01 जनवरी, 2012 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 27 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 27 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(118-Z)

ग्वालियर, दिनांक 27 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
महाराजा अग्रसेन साख सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2016/292.—महाराजा अग्रसेन साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./804, दिनांक 30 जून, 1995 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 27 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 27 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(119)

ग्वालियर, दिनांक 27 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
शक्तिपुंज महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था
मर्या., गंगा मालनपुर, ग्वालियर.

क्र./परि./2016/293.—शक्तिपुंज महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., गंगा मालनपुर, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ ए.आर./957, दिनांक 26 जून, 2004 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 27 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 27 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(119-A)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,
खेरवाया, ग्वालियर.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेरवाया, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./426, दिनांक 20 दिसम्बर, 2012 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 27 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 27 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(119-B)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
अनुसूचित जाति महिला बहुउद्देशीय सहकारी
संस्था मर्या., धुंआ, ग्वालियर.

अनुसूचित जाति महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., धुंआ, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./1902, दिनांक 23 नवम्बर, 2000 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 27 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 27 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(119-C)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,
सिरोली, ग्वालियर.

महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिरोली, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./922, दिनांक 10 जुलाई, 2002 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 27 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 27 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(119-D)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
कांचमणि उद्योग सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

कांचमणि उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./701, दिनांक 17 जनवरी, 1988 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :-

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 27 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 27 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(119-E)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
रामेश्वर धाम महिला बहुउद्देशीय सहकारी
संस्था मर्या., जरगांव, ग्वालियर.

रामेश्वर धाम महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., जरगांव, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./944, दिनांक 26 जून, 2004 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :-

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 27 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 27 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(119-F)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
लघु किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था
मर्या., डबरा, ग्वालियर.

लघु किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डबरा, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./419, दिनांक 16 अप्रैल, 2012 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 27 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 27 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(119-G)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
महावीर शक्ति दलित तेलधानी उद्योग
सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

महावीर शक्ति दलित तेलधानी उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./422, दिनांक 27 अप्रैल, 1985, है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 27 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 27 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(119-H)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
सर्व हितकारी खनिज सहकारी संस्था मर्या.,
घाटीगाँव, ग्वालियर.

सर्व हितकारी खनिज सहकारी संस्था मर्या., घाटीगाँव, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./374, दिनांक 26 जून, 2004 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 27 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 27 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(119-I)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
गिराज बहुउद्देशीय सहकारी संस्था
मर्या., छीमक डबरा, ग्वालियर.

गिराज बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., छीमक डबरा, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./500, दिनांक 31 अगस्त, 1989 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 27 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 27 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(119-J)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
नामधारी बीज उत्पादक सहकारी संस्था
मर्या., बडकी सराय, भितरवार.

नामधारी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बडकी सराय, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./413, दिनांक 16 अगस्त, 2011 है। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 27 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 27 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(119-K)

ग्वालियर, दिनांक 28 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
स्वामी विवेकानंद गृह निर्माण सहकारी संस्था
मर्या., ग्वालियर.

स्वामी विवेकानंद गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./48, दिनांक 12 अगस्त, 1971 है। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 28 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(119-L)

ग्वालियर, दिनांक 28 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
संजय गांधी गृह निर्माण सहकारी संस्था
मर्या., ग्वालियर.

संजय गांधी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./101, दिनांक 10 मई, 1982 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 28 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(119-M)

ग्वालियर, दिनांक 28 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
नवदुर्गा गृह निर्माण सहकारी संस्था
मर्या., ग्वालियर.

नवदुर्गा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या. ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./393, दिनांक 28 अगस्त, 2005 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 28 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(119-N)

ग्वालियर, दिनांक 28 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
स्याद्वाद गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

स्याद्वाद गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./225, दिनांक 25 मार्च, 1995 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 28 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(119-O)

ग्वालियर, दिनांक 28 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
सर्वोदय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

सर्वोदय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./267, दिनांक 25 जुलाई, 1998 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 28 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(119-P)

ग्वालियर, दिनांक 28 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
प्रियदर्शिनी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

प्रियदर्शिनी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./174, दिनांक 19 अप्रैल, 1990 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :-

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 28 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(119-Q)

ग्वालियर, दिनांक 28 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
संगम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

संगम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./248, दिनांक 31 मार्च, 1996 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :-

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 28 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(119-R)

ग्वालियर, दिनांक 28 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
गजानन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

गजानन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./387, दिनांक 28 दिसम्बर, 2004 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :-

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 28 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(119-S)

ग्वालियर, दिनांक 28 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
हर्षित गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

हर्षित गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./276, दिनांक 21 फरवरी, 2002 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :-

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 28 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(119-T)

ग्वालियर, दिनांक 28 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
ओम साईराम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

ओम साईराम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./383, दिनांक 10 अगस्त, 2004 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 28 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(119-U)

ग्वालियर, दिनांक 28 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
अंकुर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

अंकुर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./122, दिनांक 26 मई, 1986 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 28 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(119-V)

ग्वालियर, दिनांक 28 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
हिन्द गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

हिन्द गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./21, दिनांक 23 मार्च, 1962 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 28 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(119-W)

ग्वालियर, दिनांक 28 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
शोभा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

शोभा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./343, दिनांक 19 मई, 2003 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 28 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(119-X)

ग्वालियर, दिनांक 28 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
बांके बिहारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

बांके बिहारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./355, दिनांक 09 सितम्बर, 2003 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 28 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(119-Y)

ग्वालियर, दिनांक 28 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
राजगृह गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

राजगृह गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./116, दिनांक 03 दिसम्बर, 1993 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 28 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(119-Z)

ग्वालियर, दिनांक 28 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
रत्नाश्रय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

रत्नाश्रय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./339, दिनांक 28 मार्च, 2003 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई हैं. :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 28 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(120)

ग्वालियर, दिनांक 28 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
बलदेव गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

बलदेव गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./80, दिनांक 02 अप्रैल, 1980 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई हैं. :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 28 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(120-A)

ग्वालियर, दिनांक 28 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
संकट मोचन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

संकट मोचन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./36, दिनांक 12 अगस्त, 1971 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 28 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(120-B)

ग्वालियर, दिनांक 28 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
साईन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

साईन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./368, दिनांक 10 फरवरी, 2004 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 28 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(120-C)

ग्वालियर, दिनांक 28 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
श्री तिरूपति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

श्री तिरूपति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./279, दिनांक 05 सितम्बर, 2000 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 28 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(120-D)

ग्वालियर, दिनांक 28 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
ओम शांति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

ओम शांति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./319, दिनांक 18 नवम्बर, 2002 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 28 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(120-E)

ग्वालियर, दिनांक 28 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
रामेश्वरम् गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

रामेश्वरम् गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./378, दिनांक 26 जुलाई, 2004 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :-

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 28 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(120-F)

ग्वालियर, दिनांक 28 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
अटल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

अटल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./371, दिनांक 11 जून, 2004 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :-

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 28 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(120-G)

ग्वालियर, दिनांक 28 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
गंगा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

गंगा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./394, दिनांक 24 अक्टूबर, 2005 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 28 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तद्नुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(120-H)

ग्वालियर, दिनांक 28 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
अभियंके गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

अभियंके गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./282, दिनांक 30 सितम्बर, 2000 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 28 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तद्नुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(120-I)

ग्वालियर, दिनांक 28 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
अरिहंत गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

अरिहंत गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./249, दिनांक 05 जून, 1996 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :-

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 28 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(120-J)

ग्वालियर, दिनांक 28 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
भाव-भावेश्वर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

भाव-भावेश्वर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./380, दिनांक 29 जुलाई, 2004 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :-

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 28 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(120-K)

ग्वालियर, दिनांक 28 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
सहारा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

सहारा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./382, दिनांक 10 अगस्त, 2004 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 28 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तद्नुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(120-L)

ग्वालियर, दिनांक 28 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
जय माता दी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित,
ग्वालियर.

जय माता दी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./302, दिनांक 21 दिसम्बर, 2001 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 28 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तद्नुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(120-M)

ग्वालियर, दिनांक 28 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
मैथलीशरण गुप्त गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित,
ग्वालियर.

मैथलीशरण गुप्त गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./461, दिनांक 20 जुलाई, 1990 है। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 28 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(120-N)

ग्वालियर, दिनांक 28 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
श्री गणेश गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित,
ग्वालियर.

श्री गणेश गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./184, दिनांक 13 जुलाई, 1986 है। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 28 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(120-O)

ग्वालियर, दिनांक 28 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
कविता गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित,
ग्वालियर.

कविता गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./386, दिनांक 29 सितम्बर, 2004 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :-

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 28 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(120-P)

ग्वालियर, दिनांक 28 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
माँ सन्मति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित,
ग्वालियर.

माँ सन्मति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./399, दिनांक 21 नवम्बर, 2006 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :-

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 28 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(120-Q)

ग्वालियर, दिनांक 28 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
बैकुण्ठ धाम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित,
ग्वालियर.

बैकुण्ठ धाम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./353, दिनांक 05 सितम्बर, 2003 है। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 28 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(120-R)

ग्वालियर, दिनांक 28 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
आनंद देव हरिजन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

आनंद देव हरिजन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./44, दिनांक 09 सितम्बर, 1969 है। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 28 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(120-S)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
पंचमहल महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या.,
सिरसुला.

पंचमहल महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सिरसुला, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./306, दिनांक 25 मई, 2002 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(120-U)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
चम्बल क्रय/विक्रय सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

चम्बल क्रय/विक्रय सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./406, दिनांक 29 अप्रैल, 2008 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(120-T)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,
स्यावरी, ग्वालियर.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., स्यावरी ग्वालियर, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./918, दिनांक 26 अप्रैल, 2002 है, के प्रभारी अधिकारी श्री विजय दीक्षित, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, ग्वालियर द्वारा अवगत कराया गया कि समिति वर्तमान में प्रारम्भ होने की स्थिति में नहीं है तथा निर्वाचन करवाने में भी उनकी रुचि नहीं है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(120-V)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,
रायरू, ग्वालियर.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रायरू ग्वालियर, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./964, दिनांक 17 जुलाई, 2004 है, के प्रभारी अधिकारी श्री विजय दीक्षित, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, ग्वालियर द्वारा अवगत कराया गया कि समिति वर्तमान में प्रारम्भ होने की स्थिति में नहीं है तथा निर्वाचन करवाने में भी उनकी रुचि नहीं है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(120-W)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,
सोनी, ग्वालियर.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सोनी ग्वालियर, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./919, दिनांक 26 अप्रैल, 2002 है, के प्रभारी अधिकारी श्री विजय दीक्षित, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, ग्वालियर द्वारा अवगत कराया गया कि समिति वर्तमान में प्रारम्भ होने की स्थिति में नहीं है तथा निर्वाचन करवाने में भी उनकी रुचि नहीं है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(120-X)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,
खेरिया मोदी, ग्वालियर.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेरिया मोदी ग्वालियर, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./968, दिनांक 12 अगस्त, 2004 है, के प्रभारी अधिकारी श्री विजय दीक्षित, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, ग्वालियर द्वारा अवगत कराया गया कि समिति वर्तमान में प्रारम्भ होने की स्थिति में नहीं है तथा निर्वाचन करवाने में भी उनकी रुचि नहीं है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(120-Y)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,
टिकटोली (बेहट), ग्वालियर.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टिकटोली (बेहट) ग्वालियर, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./511, दिनांक 07 दिसम्बर, 1989 है, के प्रभारी अधिकारी श्री विजय दीक्षित, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, ग्वालियर द्वारा अवगत कराया गया कि समिति वर्तमान में प्रारम्भ होने की स्थिति में नहीं है तथा निर्वाचन करवाने में भी उनकी रुचि नहीं है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(120-Z)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,
जखारा, ग्वालियर.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जखारा ग्वालियर, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./909, दिनांक 13 दिसम्बर है, के प्रभारी अधिकारी श्री विजय दीक्षित, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, ग्वालियर द्वारा अवगत कराया गया कि समिति वर्तमान में प्रारम्भ होने की स्थिति में नहीं है तथा निर्वाचन करवाने में भी उनकी रुचि नहीं है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(121)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,

डबका, ग्वालियर.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डबका, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./398, दिनांक 18 मार्च, 1984 है, के प्रभारी अधिकारी श्री विजय दीक्षित, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, ग्वालियर द्वारा अवगत कराया गया कि समिति वर्तमान में प्रारम्भ होने की स्थिति में नहीं है तथा निर्वाचन करवाने में भी उनकी रुचि नहीं है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(121-A)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,

सुपावली, ग्वालियर.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुपावली, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./896, दिनांक 29 मार्च, 2000 है, के प्रभारी अधिकारी श्री विजय दीक्षित, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, ग्वालियर द्वारा अवगत कराया गया कि समिति वर्तमान में प्रारम्भ होने की स्थिति में नहीं है तथा निर्वाचन करवाने में भी उनकी रुचि नहीं है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(121-B)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,

बडेरा फुटकर, ग्वालियर.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बडेरा फुटकर, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./397, दिनांक 03 नवम्बर, 1981 है, के प्रभारी अधिकारी श्री विजय दीक्षित, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, ग्वालियर द्वारा अवगत कराया गया कि समिति वर्तमान में प्रारम्भ होने की स्थिति में नहीं है तथा निर्वाचन करवाने में भी उनकी रुचि नहीं है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(121-C)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,

रनगंवा, ग्वालियर.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रनगंवा, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./396, दिनांक 03 नवम्बर, 1981 है, के प्रभारी अधिकारी श्री विजय दीक्षित, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, ग्वालियर द्वारा अवगत कराया गया कि समिति वर्तमान में प्रारम्भ होने की स्थिति में नहीं है तथा निर्वाचन करवाने में भी उनकी रुचि नहीं है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(121-D)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,

सिरौली, ग्वालियर.

क्र./परि./2016/359.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिरौली, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./922, दिनांक 10 जुलाई, 2002 है, के प्रभारी अधिकारी श्री विजय दीक्षित, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, ग्वालियर द्वारा अवगत कराया गया कि समिति वर्तमान में प्रारम्भ होने की स्थिति में नहीं है तथा निर्वाचन करवाने में भी उनकी रुचि नहीं है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(121-E)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,

दयेली, ग्वालियर.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दयेली, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./921, दिनांक 26 अप्रैल, 2002 है, के प्रभारी अधिकारी श्री विजय दीक्षित, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, ग्वालियर द्वारा अवगत कराया गया कि समिति वर्तमान में प्रारम्भ होने की स्थिति में नहीं है तथा निर्वाचन करवाने में भी उनकी रुचि नहीं है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(121-F)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,
बडागांव, ग्वालियर.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बडागांव, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./956, दिनांक 26 जून, 2004 है, के प्रभारी अधिकारी श्री विजय दीक्षित, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, ग्वालियर द्वारा अवगत कराया गया कि समिति वर्तमान में प्रारम्भ होने की स्थिति में नहीं है तथा निर्वाचन करवाने में भी उनकी रुचि नहीं है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(121-G)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
श्रमिक सहयोग गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

श्रमिक सहयोग गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./80, दिनांक 19 दिसम्बर, 2012 है, के प्रभारी अधिकारी श्री सुधीर सिंह कुशवाह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा अवगत कराया गया कि समिति वर्तमान में प्रारम्भ होने की स्थिति में नहीं है तथा निर्वाचन करवाने में भी उनकी रुचि नहीं है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(121-H)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,

गोमटेश्वर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,

ग्वालियर.

गोमटेश्वर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./179, दिनांक 25 फरवरी, 1991 है, के प्रभारी अधिकारी श्री आनंद कुमार मॉझी, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा अवगत कराया गया कि समिति वर्तमान में प्रारम्भ होने की स्थिति में नहीं है तथा निर्वाचन करवाने में भी उनकी रुचि नहीं है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(121-I)

ग्वालियर, दिनांक 29 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,

बांके बिहारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,

ग्वालियर.

क्र./परि./2016/364.—बांके बिहारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./355, दिनांक 09 सितम्बर, 2003 है, के प्रभारी अधिकारी श्री अजय आहूजा, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा अवगत कराया गया कि समिति वर्तमान में प्रारम्भ होने की स्थिति में नहीं है तथा निर्वाचन करवाने में भी उनकी रुचि नहीं है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(121-J)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,

रामकृष्ण गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,

ग्वालियर.

रामकृष्ण गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./95, दिनांक 25 नवम्बर, 1981 है, के प्रभारी अधिकारी श्री एस. सी. गुप्ता, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा अवगत कराया गया कि समिति वर्तमान में प्रारम्भ होने की स्थिति में नहीं है तथा निर्वाचन करवाने में भी उनकी रुचि नहीं है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(121-K)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,

बालकिशन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,

ग्वालियर.

बालकिशन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./333, दिनांक 04 फरवरी, 2003 है, के प्रभारी अधिकारी श्री एस. सी. गुप्ता, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा अवगत कराया गया कि समिति वर्तमान में प्रारम्भ होने की स्थिति में नहीं है तथा निर्वाचन करवाने में भी उनकी रुचि नहीं है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(121-L)

ग्वालियर, दिनांक 29 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
संत रविदास क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2016/367.—संत रविदास क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./892, दिनांक 15 जून, 2006 है, के प्रभारी अधिकारी श्री के. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा अवगत कराया गया कि समिति वर्तमान में प्रारम्भ होने की स्थिति में नहीं है तथा निर्वाचन करवाने में भी उनकी रुचि नहीं है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(121-M)

ग्वालियर, दिनांक 29 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
विध्यांचल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2016/368.—विध्यांचल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./142, दिनांक 17 दिसम्बर 1982 है, के प्रभारी अधिकारी श्री के. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा अवगत कराया गया कि समिति वर्तमान में प्रारम्भ होने की स्थिति में नहीं है तथा निर्वाचन करवाने में भी उनकी रुचि नहीं है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(121-N)

ग्वालियर, दिनांक 29 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,

जीवन ज्योति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,

ग्वालियर.

क्र./परि./2016/369.—जीवन ज्योति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./381, दिनांक 04 अगस्त, 2004 है, के प्रभारी अधिकारी श्री एस. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा अवगत कराया गया कि समिति वर्तमान में प्रारम्भ होने की स्थिति में नहीं है तथा निर्वाचन करवाने में भी उनकी रुचि नहीं है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(121-O)

ग्वालियर, दिनांक 29 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,

प्रियदर्शिनी इन्द्रा गांधी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,

ग्वालियर.

क्र./परि./2016/370.—प्रियदर्शिनी इन्द्रा गांधी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./174, दिनांक 19 अप्रैल, 1990 है, के प्रभारी अधिकारी श्री सुधीर सिंह कुशवाह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा अवगत कराया गया कि समिति वर्तमान में प्रारम्भ होने की स्थिति में नहीं है तथा निर्वाचन करवाने में भी उनकी रुचि नहीं है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(121-P)

ग्वालियर, दिनांक 29 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
सुन्दरम् गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2016/371.—सुन्दरम् गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./731, दिनांक 30 अक्टूबर, 1995 है, के प्रभारी अधिकारी श्री राजीव कौशिक, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा अवगत कराया गया कि समिति वर्तमान में प्रारम्भ होने की स्थिति में नहीं है तथा निर्वाचन करवाने में भी उनकी रुचि नहीं है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(121-Q)

ग्वालियर, दिनांक 29 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
जिनेन्द्र गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2016/372.—जिनेन्द्र गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./277, दिनांक 30 जून, 2000 है, के प्रभारी अधिकारी श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा अवगत कराया गया कि समिति वर्तमान में प्रारम्भ होने की स्थिति में नहीं है तथा निर्वाचन करवाने में भी उनकी रुचि नहीं है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(121-R)

ग्वालियर, दिनांक 29 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
गुरुकृपा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2016/373.—गुरुकृपा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./307, दिनांक 03 जून, 2002 है, के प्रभारी अधिकारी श्री जे. के. शर्मा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा अवगत कराया गया कि समिति वर्तमान में प्रारम्भ होने की स्थिति में नहीं है तथा निर्वाचन करवाने में भी उनकी रुचि नहीं है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(121-S)

ग्वालियर, दिनांक 29 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
पांडव गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2016/374.—पांडव गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./320, दिनांक 05 दिसम्बर, 2002 है, के प्रभारी अधिकारी श्री मनोज श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा अवगत कराया गया कि समिति वर्तमान में प्रारम्भ होने की स्थिति में नहीं है तथा निर्वाचन करवाने में भी उनकी रुचि नहीं है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(121-T)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
आस्था महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या.,
अजयपुर.

आस्था महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., अजयपुर, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./973, दिनांक 13 जुलाई, 2006 है, के प्रभारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि समिति वर्तमान में प्रारम्भ होने की स्थिति में नहीं है तथा निर्वाचन करवाने में भी उनकी रुचि नहीं है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(121-U)

ग्वालियर, दिनांक 29 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
दुर्गा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या.,
सालवई, ग्वालियर.

क्र./परि./2016/376.—दुर्गा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सालवई, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./881, दिनांक 10 दिसम्बर, 1998 है, के प्रभारी अधिकारी श्री राजेश मंगल, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा अवगत कराया गया कि समिति वर्तमान में प्रारम्भ होने की स्थिति में नहीं है तथा निर्वाचन करवाने में भी उनकी रुचि नहीं है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(121-V)

ग्वालियर, दिनांक 29 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,

किसान फल-फूल उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,

घाटीगांव.

क्र./परि./2016/377.—किसान फल-फूल उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., घाटीगांव, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./296, दिनांक 25 सितम्बर, 2001 है, के प्रभारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि समिति वर्तमान में प्रारम्भ होने की स्थिति में नहीं है तथा निर्वाचन करवाने में भी उनकी रुचि नहीं है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(121-W)

ग्वालियर, दिनांक 29 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,

माँ पीताम्बरा निर्मित श्रम ठेका सहकारी संस्था मर्या.,

डबरा.

क्र./परि./2016/378.—माँ पीताम्बरा निर्मित श्रम ठेका सहकारी संस्था मर्या., डबरा, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./601, दिनांक 23 अगस्त, 1992 है, के प्रभारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि समिति वर्तमान में प्रारम्भ होने की स्थिति में नहीं है तथा निर्वाचन करवाने में भी उनकी रुचि नहीं है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(121-X)

ग्वालियर, दिनांक 29 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,

पंचमहल महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या.,

ग्वालियर.

क्र./परि./2016/379.—पंचमहल महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., आंतरी ग्वालियर, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./929, दिनांक 17 जुलाई, 2003 है, के प्रभारी अधिकारी श्री के. सी. शर्मा, सहकारी निरीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि समिति वर्तमान में प्रारम्भ होने की स्थिति में नहीं है तथा निर्वाचन करवाने में भी उनकी रुचि नहीं है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(121-Y)

ग्वालियर, दिनांक 29 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,

अम्बेडकर कैरोसिन हॉकर्स प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या.,

ग्वालियर.

क्र./परि./2016/380.—अम्बेडकर कैरोसिन हॉकर्स प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./608, दिनांक 07 फरवरी, 1992 है, के प्रभारी अधिकारी श्री राजेश मंगल, सहकारी निरीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि समिति वर्तमान में प्रारम्भ होने की स्थिति में नहीं है तथा निर्वाचन करवाने में भी उनकी रुचि नहीं है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(121-Z)

ग्वालियर, दिनांक 29 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
मनुज कुक्कुट पालन सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2016/381.—मनुज कुक्कुट पालन सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./879, दिनांक 28 सितम्बर, 1998 है, के प्रभारी अधिकारी श्री के. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा अवगत कराया गया कि समिति वर्तमान में प्रारम्भ होने की स्थिति में नहीं है तथा निर्वाचन करवाने में भी उनकी रुचि नहीं है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(122)

ग्वालियर, दिनांक 29 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
देवी अहिल्या सेविंग साख सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2016/382.—देवी अहिल्या सेविंग साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./891, दिनांक 21 अक्टूबर, 1999 है, के प्रभारी अधिकारी श्री सुधीर सिंह कुशवाह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा अवगत कराया गया कि समिति वर्तमान में प्रारम्भ होने की स्थिति में नहीं है तथा निर्वाचन करवाने में भी उनकी रुचि नहीं है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(122-A)

ग्वालियर, दिनांक 29 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
मत्स्यो उद्योग सहकारी संस्था मर्या.,
तिघरा.

क्र./परि./2016/383.—मत्स्यो उद्योग सहकारी संस्था मर्या., तिघरा, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./457, दिनांक 28 अगस्त, 1997 है, के प्रभारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि समिति वर्तमान में प्रारम्भ होने की स्थिति में नहीं है तथा निर्वाचन करवाने में भी उनकी रुचि नहीं है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(122-B)

ग्वालियर, दिनांक 29 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
माँ वैष्णो देवी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या.,
जंगीपुर.

क्र./परि./2016/384.—माँ वैष्णो देवी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., जंगीपुर, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./948, दिनांक 01 जून, 2004 है, के प्रभारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि समिति वर्तमान में प्रारम्भ होने की स्थिति में नहीं है तथा निर्वाचन करवाने में भी उनकी रुचि नहीं है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(122-C)

ग्वालियर, दिनांक 29 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,

माँ शारदा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या.,

हुकुमगढ़.

क्र./परि./2016/385.—माँ शारदा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., हुकुमगढ़, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./949, दिनांक 03 जून, 2004 है, के प्रभारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि समिति वर्तमान में प्रारम्भ होने की स्थिति में नहीं है तथा निर्वाचन करवाने में भी उनकी रुचि नहीं है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(122-D)

ग्वालियर, दिनांक 29 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या.,

गढ़ी, डबरा.

महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., गढ़ी, डबरा. ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./952, दिनांक 15 जून, 2004 है, के प्रभारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि समिति वर्तमान में प्रारम्भ होने की स्थिति में नहीं है तथा निर्वाचन करवाने में भी उनकी रुचि नहीं है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(122-E)

ग्वालियर, दिनांक 29 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या.,
डबरा.

महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., डबरा, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./951, दिनांक 05 जून, 2004 है, के प्रभारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि समिति वर्तमान में प्रारम्भ होने की स्थिति में नहीं है तथा निर्वाचन करवाने में भी उनकी रुचि नहीं है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(122-F)

ग्वालियर, दिनांक 29 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
जय शीतला ईट भट्टा सहकारी संस्था मर्या.,
बिलौआ.

क्र./परि./2016/388.—जय शीतला ईट-भट्टा सहकारी संस्था मर्या., बिलौआ, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./327, दिनांक 17 अक्टूबर, 1991 है, के प्रभारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि समिति वर्तमान में प्रारम्भ होने की स्थिति में नहीं है तथा निर्वाचन करवाने में भी उनकी रुचि नहीं है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(122-G)

ग्वालियर, दिनांक 29 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
पार्वती महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या.,
भेलाखुर्द.

क्र./परि./2016/389.—पार्वती महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., भेलाखुर्द, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./965, दिनांक 20 जुलाई, 2004 है, के प्रभारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि समिति वर्तमान में प्रारम्भ होने की स्थिति में नहीं है तथा निर्वाचन करवाने में भी उनकी रुचि नहीं है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(122-H)

ग्वालियर, दिनांक 29 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
उन्नति बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,
घरसौंदी.

क्र./परि./2016/390.—उन्नति बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., घरसौंदी, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./414, दिनांक 16 अगस्त, 2011 है, के प्रभारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि समिति वर्तमान में प्रारम्भ होने की स्थिति में नहीं है तथा निर्वाचन करवाने में भी उनकी रुचि नहीं है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(122-I)

ग्वालियर, दिनांक 29 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
आरती महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या.,
हर्सी.

क्र./परि./2016/391.—आरती महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., हर्सी, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./938, दिनांक 22 मार्च, 2004 है, के प्रभारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि समिति वर्तमान में प्रारम्भ होने की स्थिति में नहीं है तथा निर्वाचन करवाने में भी उनकी रुचि नहीं है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(122-J)

ग्वालियर, दिनांक 29 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
ग्वालियर गौरव गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2016/392.—ग्वालियर गौरव गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./173, दिनांक 30 मार्च, 1990 है, के प्रभारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि समिति वर्तमान में प्रारम्भ होने की स्थिति में नहीं है तथा निर्वाचन करवाने में भी उनकी रुचि नहीं है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(122-K)

ग्वालियर, दिनांक 29 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
ग्वालियर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2016/393.—ग्वालियर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./201, दिनांक 04 जनवरी, 1959 है, के प्रभारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि समिति वर्तमान में प्रारम्भ होने की स्थिति में नहीं है तथा निर्वाचन करवाने में भी उनकी रुचि नहीं है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(122-L)

ग्वालियर, दिनांक 29 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
नवोदय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2016/394.—नवोदय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./263, दिनांक 14 जुलाई, 1997 है, के प्रभारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि समिति वर्तमान में प्रारम्भ होने की स्थिति में नहीं है तथा निर्वाचन करवाने में भी उनकी रुचि नहीं है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(122-M)

ग्वालियर, दिनांक 29 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,

जय भारत गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,

ग्वालियर.

क्र./परि./2016/395.—जय भारत गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./324, दिनांक 20 दिसम्बर, 2002 है, के प्रभारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि समिति वर्तमान में प्रारम्भ होने की स्थिति में नहीं है तथा निर्वाचन करवाने में भी उनकी रुचि नहीं है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(122-N)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,

शीतला फर्नीचर सहकारी संस्था मर्या.,

ग्वालियर.

शीतला फर्नीचर सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./506, दिनांक 02 अप्रैल, 1989 है, के संबंध में कार्यालयीन अधिकारी श्री के. सी. शर्मा, सहकारी निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें आपकी संस्था को लगातार अकार्यशील एवं संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु अरुचिवान मानते हुए समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 04 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(122-O)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
काष्ठ शिल्प लेखन सामग्री सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

काष्ठ शिल्प लेखन सामग्री सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./113, दिनांक 04 जून, 1954 है, के संबंध में कार्यालयीन अधिकारी श्री राम कुमार शर्मा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें आपकी संस्था को लगातार अकार्यशील एवं संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु अरुचिवान मानते हुए समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 04 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(122-P)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
बुडन एंड मैटल उद्योग सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

बुडन एंड मैटल उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./140, दिनांक 16 फरवरी, 1988 है, के संबंध में कार्यालयीन अधिकारी श्री राम कुमार शर्मा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें आपकी संस्था को लगातार अकार्यशील एवं संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु अरुचिवान मानते हुए समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 04 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(122-Q)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
मार्डन रेडिमेट वस्त्र उद्योग सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

मार्डन रेडिमेट वस्त्र उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./184, दिनांक 20 जून, 1990 है, के संबंध में कार्यालयीन अधिकारी श्री राम कुमार शर्मा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें आपकी संस्था को लगातार अकार्यशील एवं संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु अरुचिवान मानते हुए समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 04 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(122-R)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
साबुन निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

साबुन निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./423, दिनांक 27 अगस्त, 1984 है, के संबंध में कार्यालयीन अधिकारी श्री के. सी. शर्मा, सहकारी निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें आपकी संस्था को लगातार अकार्यशील एवं संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु अरुचिवान मानते हुए समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 04 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(122-S)

ग्वालियर, दिनांक 04 फरवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2016/432.—चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./356, दिनांक 21 अगस्त, 1960 है, के संबंध में कार्यालयीन अधिकारी श्री के. सी. शर्मा, सहकारी निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें आपकी संस्था को लगातार अकार्यशील एवं संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु अरुचिवान मानते हुए समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 04 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(122-T)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
मात्र कल्याण महिला प्रिंटिंग सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

मात्र कल्याण महिला प्रिंटिंग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./287, दिनांक 17 दिसम्बर, 2000 है, के संबंध में कार्यालयीन अधिकारी श्री राम कुमार शर्मा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें आपकी संस्था को लगातार अकार्यशील एवं संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु अरुचिवान मानते हुए समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 04 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(122-U)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
कविता प्रिंटिंग प्रेस सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

कविता प्रिंटिंग प्रेस सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./651, दिनांक 23 अगस्त, 1993 है, के संबंध में कार्यालयीन अधिकारी श्री राम कुमार शर्मा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें आपकी संस्था को लगातार अकार्यशील एवं संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु अरुचिवान मानते हुए समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 04 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(122-V)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
एग्रो इंजीनियर सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

एग्रो इंजीनियर सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./249, दिनांक 23 मार्च, 1991 है, के संबंध में कार्यालयीन अधिकारी श्री ओ. पी. पाठक, सहकारी निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें आपकी संस्था को लगातार अकार्यशील एवं संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु अरुचिवान मानते हुए समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है. ◦

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 04 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(122-W)

ग्वालियर, दिनांक 04 फरवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
तेल उत्पादक उद्योग सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2016/436.—तेल उत्पादक उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./439, दिनांक 06 नवम्बर, 1984 है, के संबंध में कार्यालयीन अधिकारी श्री के. सी. शर्मा, सहकारी निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें आपकी संस्था को लगातार अकार्यशील एवं संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु अरुचिवान मानते हुए समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 04 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(122-X)

ग्वालियर, दिनांक 04 फरवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
पीताम्बरा पेन्ट सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2016/437.—पीताम्बरा पेन्ट सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./53, दिनांक 16 जनवरी, 1990 है, के संबंध में कार्यालयीन अधिकारी श्री के. सी. शर्मा, सहकारी निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें आपकी संस्था को लगातार अकार्यशील एवं संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु अरुचिवान मानते हुए समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 04 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(122-Y)

ग्वालियर, दिनांक 04 फरवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
शिववुनकर सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2016/438.—शिववुनकर सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./360, दिनांक 27 जून, 1977 है, के संबंध में कार्यालयीन अधिकारी श्री ओ. पी. पाठक, सहकारी निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें आपकी संस्था को लगातार अकार्यशील एवं संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु अरुचिवान मानते हुए समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 04 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(122-Z)

ग्वालियर, दिनांक 04 फरवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
ग्वालियर मोटर वाहन सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

ग्वालियर मोटर वाहन सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./488, दिनांक 05 दिसम्बर, 1988 है, के संबंध में कार्यालयीन अधिकारी श्री के. सी. शर्मा, सहकारी निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें आपकी संस्था को लगातार अकार्यशील एवं संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु अरुचिवान मानते हुए समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 04 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(123)

ग्वालियर, दिनांक 04 फरवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
भारतीय वस्त्र डिजाइनिंग सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2016/440.—भारतीय वस्त्र डिजाइनिंग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./316, दिनांक 25 अक्टूबर, 2002 है, के संबंध में कार्यालयीन अधिकारी श्री के. सी. शर्मा, सहकारी निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें आपकी संस्था को लगातार अकार्यशील एवं संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु अरुचिवान मानते हुए समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 04 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(123-A)

ग्वालियर, दिनांक 04 फरवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
धातु उद्योग सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2016/441.—धातु उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./406, दिनांक 18 जून, 1956 है, के संबंध में कार्यालयीन अधिकारी श्री के. सी. शर्मा, सहकारी निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें आपकी संस्था को लगातार अकार्यशील एवं संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु अरुचिवान मानते हुए समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 04 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(123-B)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
रंगाई छपाई उद्योग सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

रंगाई छपाई उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./226, दिनांक 05 नवम्बर, 1966 है, के संबंध में कार्यालयीन अधिकारी श्री ओ. पी. पाठक, सहकारी निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें आपकी संस्था को लगातार अकार्यशील एवं संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु अरुचिवान मानते हुए समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 04 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(123-C)

ग्वालियर, दिनांक 04 फरवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
जय बालाजी महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या.,
पुरानी छावनी, ग्वालियर.

क्र./परि./2016/443.—जय बालाजी महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., पुरानी छावनी, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./991, दिनांक 30 जुलाई, 2010 है, के संबंध में कार्यालयीन अधिकारी श्री ओ. पी. पाठक, सहकारी निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें आपकी संस्था को लगातार अकार्यशील एवं संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु अरुचिवान मानते हुए समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 04 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(123-D)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
जय बालाजी महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या.,
पुरानी छावनी, ग्वालियर.

जय बालाजी महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., पुरानी छावनी, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./991, दिनांक 30 जुलाई, 2010 है, के संबंध में कार्यालयीन अधिकारी श्री भूपेन्द्र सिंह जादौन, सहकारी निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें आपकी संस्था को लगातार अकार्यशील एवं संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु अरुचिवान मानते हुए समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 04 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(123-E)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
जय कालका महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या.,
सोसा, जिला ग्वालियर.

जय कालका महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सोसा, जिला ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./945, दिनांक 05 दिसम्बर, 2004 है, के संबंध में कार्यालयीन अधिकारी श्री भूपेन्द्र पाल सिंह जादौन, सहकारी निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें आपकी संस्था को लगातार अकार्यशील एवं संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु अरुचिवान मानते हुए समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 04 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(123-F)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,

पीताम्बरा महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या.,

चीनौर.

पीताम्बरा महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., चीनौर, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./877, दिनांक 14 सितम्बर, 1998 है, के संबंध में कार्यालयीन अधिकारी श्री जे. के. शर्मा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें आपकी संस्था को लगातार अकार्यशील एवं संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु अरुचिवान मानते हुए समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 04 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(123-G)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,

महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या.,

जनकपुर.

महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., जनकपुर, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./951, दिनांक 06 मई, 2004 है, के संबंध में कार्यालयीन अधिकारी श्री जे. के. शर्मा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें आपकी संस्था को लगातार अकार्यशील एवं संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु अरुचिवान मानते हुए समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 04 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(123-H)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
संगम महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या.,
मउच.

संगम महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., मउच, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./913, दिनांक 13 मार्च, 2002 है, के संबंध में कार्यालयीन अधिकारी श्री जे. के. शर्मा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें आपकी संस्था को लगातार अकार्यशील एवं संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु अरुचिवान मानते हुए समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 04 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तद्नुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(123-I)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या.,
सोसा.

महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., सोसा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./945, दिनांक 21 मई, 2004 है, के संबंध में कार्यालयीन अधिकारी श्री जे. के. शर्मा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें आपकी संस्था को लगातार अकार्यशील एवं संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु अरुचिवान मानते हुए समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 04 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तद्नुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(123-J)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
माँ वैष्णो देवी महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या.,
सेकरा जागी.

माँ वैष्णो देवी महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., सेकरा जागी, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./948, दिनांक 06 जनवरी, 2004 है, के संबंध में कार्यालयीन अधिकारी श्री जे. के. शर्मा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें आपकी संस्था को लगातार अकार्यशील एवं संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु अरुचिवान मानते हुए समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 04 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(123-K)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
सर्वहितकारी महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या.,
सिंगोरा.

सर्वहितकारी महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., सिंगोरा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./946, दिनांक 22 मई, 2004 है, के संबंध में कार्यालयीन अधिकारी श्री जे. के. शर्मा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें आपकी संस्था को लगातार अकार्यशील एवं संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु अरुचिवान मानते हुए समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 04 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(123-L)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
तानसेन महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या.,
बेहट.

तानसेन महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., बेहट, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./367, दिनांक 31 जनवरी, 2004 है, के संबंध में कार्यालयीन अधिकारी श्री जे. के. शर्मा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें आपकी संस्था को लगातार अकार्यशील एवं संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु अरुचिवान मानते हुए समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 04 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तद्नुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(123-M)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
वीरांगना महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या.,
वीरपुर.

वीरांगना महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., वीरपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./955, दिनांक 17 जून, 2004 है, के संबंध में कार्यालयीन अधिकारी श्री जे. के. शर्मा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें आपकी संस्था को लगातार अकार्यशील एवं संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु अरुचिवान मानते हुए समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 04 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तद्नुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(123-N)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
दी वैभव साख सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

दी वैभव साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./655, दिनांक 13 दिसम्बर, 1993 है, के संबंध में कार्यालयीन अधिकारी श्री भूपेन्द्र पाल सिंह जादौन, सहकारी निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें आपकी संस्था को लगातार अकार्यशील एवं संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु अरुचिवान मानते हुए समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 04 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(123-O)

ग्वालियर, दिनांक 04 फरवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
रानी दुर्गावती महिला साख सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2016/457.—रानी दुर्गावती महिला साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर. जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./870, दिनांक 15 जुलाई, 1997 है, के संबंध में कार्यालयीन अधिकारी श्री एस. सी. गुप्ता, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें आपकी संस्था को लगातार अकार्यशील एवं संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु अरुचिवान मानते हुए समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 04 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(123-P)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
तथागत साख सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

तथागत साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./984, दिनांक 13 मार्च, 2009 है, के संबंध में कार्यालयीन अधिकारी श्री एस. सी. गुप्ता, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें आपकी संस्था को लगातार अकार्यशील एवं संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु अरुचिवान मानते हुए समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 04 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(123-Q)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
तिलन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,
मसूदपुर.

तिलन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मसूदपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./561, दिनांक 30 सितम्बर, 1991 है, के संबंध में कार्यालयीन अधिकारी श्री ओ. पी. पाठक, सहकारी निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें आपकी संस्था को लगातार अकार्यशील एवं संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु अरुचिवान मानते हुए समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 04 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(123-R)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,

तिलन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,

समूदन.

तिलन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., समूदन, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./530, दिनांक 08 फरवरी, 1990 है, के संबंध में कार्यालयीन अधिकारी श्री ओ. पी. पाठक, सहकारी निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें आपकी संस्था को लगातार अकार्यशील एवं संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु अरुचिवान मानते हुए समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 04 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(123-S)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,

आकृति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,

ग्वालियर.

आकृति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./337, दिनांक 24 मार्च, 2003 है, के संबंध में कार्यालयीन अधिकारी श्री आर. डी. पचौरिया, सहकारी निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें आपकी संस्था को लगातार अकार्यशील एवं संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु अरुचिवान मानते हुए समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 04 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(123-T)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
छत्रपति शिवाजी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

छत्रपति शिवाजी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./348, दिनांक 28 जून, 2003 है, के संबंध में कार्यालयीन अधिकारी श्री आर. डी. पचौरिया, सहकारी निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें आपकी संस्था को लगातार अकार्यशील एवं संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु अरुचिवान मानते हुए समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 04 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(123-U)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
शीतला गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

शीतला गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./384, दिनांक 23 सितम्बर, 2004 है, के संबंध में कार्यालयीन अधिकारी श्री आर. डी. पचौरिया, सहकारी निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें आपकी संस्था को लगातार अकार्यशील एवं संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु अरुचिवान मानते हुए समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 04 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(123-V)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
संस्कृति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

संस्कृति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./357, दिनांक 24 सितम्बर, 2003 है, के संबंध में कार्यालयीन अधिकारी श्री आर. डी. पचौरिया, सहकारी निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें आपकी संस्था को लगातार अकार्यशील एवं संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु अरुचिवान मानते हुए समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 04 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(123-W)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
अम्बालिका गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

अम्बालिका गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./367, दिनांक 20 अप्रैल, 2004 है, के संबंध में कार्यालयीन अधिकारी श्री आर. डी. पचौरिया, सहकारी निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें आपकी संस्था को लगातार अकार्यशील एवं संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु अरुचिवान मानते हुए समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 04 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(123-X)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
जय भैरव नाथ गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

जय भैरव नाथ गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./375, दिनांक 12 जुलाई, 2004 है, के संबंध में कार्यालयीन अधिकारी श्री आर. डी. पचौरिया, सहकारी निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें आपकी संस्था को लगातार अकार्यशील एवं संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु अरुचिवान मानते हुए समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 04 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(123-Y)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
शियादवाद गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

शियादवाद गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./225, दिनांक 25 मार्च, 1995 है, के संबंध में कार्यालयीन अधिकारी श्री सुधीर श्रीवास्तव, उप-अंकेक्षक के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें आपकी संस्था को लगातार अकार्यशील एवं संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु अरुचिवान मानते हुए समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 04 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(123-Z)

संजय दलेला,
उपायुक्त (सहकारिता).

कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर

[अन्तर्गत धारा-18 (1) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., श्यामपुर (नानूखेडी), जिला शाजापुर पंजीयन क्रमांक 765, दिनांक 06 सितम्बर, 2001 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/ परिसमापन/2014/925, शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है. कि उक्त संस्था में कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 07 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(124)

शाजापुर, दिनांक 18 सितम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अन्तर्गत]

क्र.परि./2015/1183.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., राघवेल, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक-592, दिनांक 12 सितम्बर, 1991 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/921, दिनांक 19 अगस्त, 2014 में परिसमापन में लाया गया था. संस्था परिसमापक श्री एन. एस. भाटी, अंकेक्षण अधिकारी द्वारा दिनांक 08 सितम्बर, 2015 को संस्था के सदस्यों की विशेष साधारण सभा बुलाई गई, जिसमें सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने एवं संस्था का कार्य व्यवसाय पुनः प्रारम्भ करने संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया.

परिसमापक श्री एन. एस. भाटी, अंकेक्षण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 18 सितम्बर, 2015 में संस्था के सदस्यों के हितों को दृष्टिगत रखकर संस्था को पुनर्जीवित किये जाने की अनुशंसा की गयी है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-1999-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सदस्यों के व्यापक हित में दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., राघवेल, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक-592, दिनांक 12 सितम्बर, 1991 को निम्न शर्तों के साथ पुनर्जीवित किया जाता है:-

1. संस्था प्रस्तुत कार्ययोजना अनुसार अपना कार्य व्यवसाय संस्था की उप विधि के अनुरूप करना सुनिश्चित करेगी एवं प्रगति से इस कार्यालय को अवगत करावेगी.
2. संस्था प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दो माह के भीतर अंकेक्षण हेतु संस्था के वित्तीय पत्रक एवं अन्य अभिलेख कार्यालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत करेगी.
3. संस्था के कार्य संचालन हेतु दुग्ध संघ के संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक को संस्था का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है.
4. नामांकित अवधि में मार्ग पर्यवेक्षक द्वारा प्रस्तावित कार्ययोजना अनुसार संचालन न करने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी.
5. संस्था की पुरानी लाभ हानि एवं समस्त देनदारी-लेनदारी के निराकरण की जिम्मेदारी संस्था की होगी.

यह आदेश आज दिनांक 18 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(124-A)

शाजापुर, दिनांक 21 सितम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अन्तर्गत]

क्र.परि./2015/1198.—महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बडौदराणा, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक-894, दिनांक 12 अक्टूबर, 2004 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/904, दिनांक 19 अगस्त, 2014 में परिसमापन में लाया गया था. संस्था परिसमापक श्री मनीष चौधरी, सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 11 सितम्बर, 2015 को संस्था के सदस्यों की विशेष साधारण सभा बुलाई गई, जिसमें सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने एवं संस्था का कार्य व्यवसाय पुनः प्रारम्भ करने संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया.

परिसमापक श्री मनीष चौधरी, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 21 सितम्बर, 2015 में संस्था के सदस्यों के हितों को दृष्टिगत रखकर संस्था को पुनर्जीवित किये जाने की अनुशंसा की गयी है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-1999-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सदस्यों के व्यापक हित में महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बडौदराणा, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक-894, दिनांक 12 अक्टूबर, 2004 को निम्न शर्तों के साथ पुनर्जीवित किया जाता है:-

1. संस्था प्रस्तुत कार्ययोजना अनुसार अपना कार्य व्यवसाय संस्था की उप विधि के अनुरूप करना सुनिश्चित करेगी एवं प्रगति से इस कार्यालय को अवगत करावेगी।
2. संस्था प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दो माह के भीतर अंकेक्षण हेतु संस्था के वित्तीय पत्रक एवं अन्य अभिलेख कार्यालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत करेगी।
3. संस्था के कार्य संचालन हेतु दुग्ध संघ के संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक को संस्था का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है।
4. नामांकित अवधि में मार्ग पर्यवेक्षक द्वारा प्रस्तावित कार्ययोजना अनुसार संचालन न करने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
5. संस्था की पुरानी लाभ हानि एवं समस्त देनदारी-लेनदारी के निराकरण की जिम्मेदारी संस्था की होगी।

यह आदेश आज दिनांक 21 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

आर. एस. गौर,
उप-पंजीयक.

(124-B)

कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर संभाग, सागर

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत)

जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., पन्ना, पंजीयन क्रमांक/पी.एन.ए./एच.ओ./73, दिनांक 21 फरवरी, 1962 है। बैंक की पंजीकृत उपविधियों में वर्णित उद्देश्य के अनुसार बैंक का मुख्य उद्देश्य कृषक सदस्यों को ऋण प्रदान करना एवं उसकी वसूली करना है जो विगत कई वर्षों से बैंक का ऋण व्यवसाय बंद हो जाने एवं वसूली न होने के कारण बैंक अकार्यशील हो गया है एवं भविष्य में बैंक का ऋण व्यवसाय पुनः प्रारंभ होना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है, का उल्लेख करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना पत्र क्र./विधि/2016/28 सागर, दिनांक 04 जनवरी, 2016 जारी किया जाकर दिनांक 19 जनवरी, 2016 को उत्तर चाहा गया था। प्रभारी अधिकारी जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., पन्ना द्वारा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं है। अतएव उपर्युक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं, एम. एम. मालवीय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर संभाग, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-बी, भोपाल दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., पन्ना, जिला पन्ना, पंजीयन क्रमांक/पी.एन.ए./एच.ओ./73, दिनांक 21 फरवरी, 1962 को परिसमापन में लाता हूँ। साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत सहायक आयुक्त सहकारिता, जिला पन्ना को आदेश जारी होने के दिनांक से उक्त बैंक का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 29 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(125)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत)

जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., सागर, पंजीयन क्रमांक/एस.जी.आर./एच.ओ./95, दिनांक 25 जनवरी, 1963 है। बैंक की पंजीकृत उपविधियों में वर्णित उद्देश्य के अनुसार बैंक का मुख्य उद्देश्य कृषक सदस्यों को ऋण प्रदान करना एवं उसकी वसूली करना है जो विगत कई वर्षों से बैंक का ऋण व्यवसाय बंद हो जाने एवं वसूली न होने के कारण बैंक अकार्यशील हो गया है एवं भविष्य में बैंक का ऋण व्यवसाय पुनः प्रारंभ होना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है, का उल्लेख करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना पत्र क्र./विधि/2016/26 सागर, दिनांक 04 जनवरी, 2016 जारी किया जाकर दिनांक 19 जनवरी, 2016 को उत्तर चाहा गया था। प्रशासक, जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., सागर द्वारा प्रेषित उत्तर में बैंक के अकार्यशील होने एवं उप विधियों के अनुरूप कार्य न करने का लेख किया है। अतएव उपर्युक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं, एम. एम. मालवीय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर संभाग, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-बी, भोपाल दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक/एस.जी.आर./एच.ओ./95, दिनांक 25 जनवरी, 1963 को परिसमापन में लाता हूँ. साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत उपायुक्त सहकारिता, जिला सागर को आदेश जारी होने के दिनांक से उक्त बैंक का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(125-A)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत)

जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., टीकमगढ़, पंजीयन क्रमांक/टी.के.एम./एच.ओ./94, दिनांक 15 जनवरी, 1963 है. बैंक की पंजीकृत उपविधियों में वर्णित उद्देश्य के अनुसार बैंक का मुख्य उद्देश्य कृषक सदस्यों को ऋण प्रदान करना एवं उसकी वसूली करना है जो विगत कई वर्षों से बैंक का ऋण व्यवसाय बंद हो जाने एवं वसूली न होने के कारण बैंक अकार्यशील हो गया है एवं भविष्य में बैंक का ऋण व्यवसाय पुनः प्रारंभ होना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है, का उल्लेख करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना पत्र क्र./विधि/2016/27 सागर, दिनांक 04 जनवरी, 2016 जारी किया जाकर दिनांक 19 जनवरी, 2016 को उत्तर चाहा गया था. किन्तु बैंक द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट होता है कि संस्था सदस्यों को संस्था संचालन में कोई रुचि नहीं है. अतएव उपर्युक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एम. एम. मालवीय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर संभाग, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-बी, भोपाल दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़, पंजीयन क्रमांक/टी.के.एम./एच.ओ./94, दिनांक 15 जनवरी, 1963 को परिसमापन में लाता हूँ. साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत उपायुक्त सहकारिता, जिला टीकमगढ़ को आदेश जारी होने के दिनांक से उक्त बैंक का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(125-B)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत)

जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., दमोह, पंजीयन क्रमांक/डी. एम./एच.ओ./107, दिनांक 25 जनवरी, 1965 है. बैंक की पंजीकृत उपविधियों में वर्णित उद्देश्य के अनुसार बैंक का मुख्य उद्देश्य कृषक सदस्यों को ऋण प्रदान करना एवं उसकी वसूली करना है जो विगत कई वर्षों से बैंक का ऋण व्यवसाय बंद हो जाने एवं वसूली न होने के कारण बैंक अकार्यशील हो गया है एवं भविष्य में बैंक का ऋण व्यवसाय पुनः प्रारंभ होना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है, का उल्लेख करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना पत्र क्र./विधि/2016/25 सागर, दिनांक 04 जनवरी, 2016 जारी किया जाकर दिनांक 19 जनवरी, 2016 को उत्तर चाहा गया था. किन्तु बैंक द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट होता है कि संस्था सदस्यों को संस्था संचालन में कोई रुचि नहीं है. अतएव उपर्युक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एम. एम. मालवीय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर संभाग, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-बी, भोपाल दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., दमोह, जिला दमोह, पंजीयन क्रमांक/डी. एम./एच.ओ./107, दिनांक 25 जनवरी, 1965 को परिसमापन में लाता हूँ. साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहायक आयुक्त सहकारिता, जिला दमोह को आदेश जारी होने के दिनांक से उक्त बैंक का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(125-C)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत)

जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., छतरपुर, पंजीयन क्रमांक/सी.एच.टी.पी.आर./एच.ओ./78, दिनांक 25 जनवरी, 1962 है। बैंक की पंजीकृत उपविधियों में वर्णित उद्देश्य के अनुसार बैंक का मुख्य उद्देश्य कृषक सदस्यों को ऋण प्रदान करना एवं उसकी वसूली करना है जो विगत कई वर्षों से बैंक का ऋण व्यवसाय बंद हो जाने एवं वसूली न होने के कारण बैंक अकार्यशील हो गया है एवं भविष्य में बैंक का ऋण व्यवसाय पुनः प्रारंभ होना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है, का उल्लेख करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना पत्र क्र./विधि/2016/24 सागर, दिनांक 04 जनवरी, 2016 जारी किया जाकर दिनांक 19 जनवरी, 2016 को उत्तर चाहा गया था। किन्तु बैंक द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि संस्था सदस्यों को संस्था संचालन में कोई रुचि नहीं है। अतएव उपर्युक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं, एम. एम. मालवीय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर संभाग, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-बी, भोपाल दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., छतरपुर, जिला छतरपुर, पंजीयन क्रमांक/सी.एच.टी.पी.आर./एच.ओ./78, दिनांक 25 जनवरी, 1962 को परिसमापन में लाता हूँ। साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत उपायुक्त सहकारिता, जिला छतरपुर को आदेश जारी होने के दिनांक से उक्त बैंक का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 29 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

एम. एम. मालवीय,
संयुक्त पंजीयक.

(125-D)

कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता जिला कटनी

कटनी, दिनांक 31 अक्टूबर, 2015

क्र./सपंक/परि./15/1563.—अनुपमा महिला प्रा. उप. सह. भण्डार मर्या., नेहरू वार्ड पं. क्र. 165, दिनांक 6 जून, 2014 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंक/परिसमापन/315, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी।

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुये संस्था अनुपमा महिला प्रा. उप. सह. भण्डार मर्या., नेहरू वार्ड पं. क्र. 165, दिनांक 06 जून, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(126)

कटनी, दिनांक 31 अक्टूबर, 2015

क्र./सपंक/परि./15/1564.—गायत्री महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., मालवीय गंज कटनी पं. क्र. 182, दिनांक 6 जून, 2014 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंक/परिसमापन/332, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी।

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुये संस्था गायत्री महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., मालवीय गंज कटनी पं. क्र. 182, दिनांक 6 जून, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(126-A)

कटनी, दिनांक 31 अक्टूबर, 2015

क्र./संपंक/परि./15/1565.—माँ वैष्णव महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., वीर सावरकर, वार्ड कटनी पं. क्र. 183, दिनांक 6 जून, 2014 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/संपंक/परिसमापन/333, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अतः मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुये संस्था माँ वैष्णव महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., वीर सावरकर, वार्ड कटनी पं. क्र. 183, दिनांक 6 जून, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(126-B)

कटनी, दिनांक 31 अक्टूबर, 2015

क्र./संपंक/परि./15/1566.—रानी दुर्गावती महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., जयप्रकाश, वार्ड कटनी पं. क्र. 184, दिनांक 6 जून, 2014 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/संपंक/परिसमापन/334, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अतः मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुये संस्था रानी दुर्गावती महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., जयप्रकाश, वार्ड कटनी पं. क्र. 184, दिनांक 6 जून, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(126-C)

कटनी, दिनांक 31 अक्टूबर, 2015

क्र./संपंक/परि./15/1567.—श्री गणेश महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., किदवई वार्ड कटनी पं. क्र. 185, दिनांक 6 जून, 2014 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/संपंक/परिसमापन/335, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अतः मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुये संस्था श्री गणेश महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., किदवई वार्ड कटनी पं. क्र. 185, दिनांक 6 जून, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(126-D)

कटनी, दिनांक 31 अक्टूबर, 2015

क्र./संपंक/परि./15/1568.—माँ शक्ति महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., जाकिर हुसैन, कटनी, पं. क्र. 186, दिनांक 6 जून, 2014 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/संपंक/परिसमापन/336, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अतः मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुये संस्था माँ शक्ति महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., जाकिर हुसैन, कटनी, पं. क्र. 186, दिनांक 6 जून, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(126-E)

कटनी, दिनांक 31 अक्टूबर, 2015

क्र./सपंक/परि./15/1569.—राम कृष्ण ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., परम हंस, वार्ड कटनी पं. क्र. 192, दिनांक 6 जून, 2014 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंक/परिसमापन/342, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी।

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुये संस्था राम कृष्ण ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., परम हंस, वार्ड कटनी पं. क्र. 192, दिनांक 6 जून, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(126-F)

कटनी, दिनांक 31 अक्टूबर, 2015

क्र./सपंक/परि./15/1570.—जय माँ काली महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., व्यंकट, वार्ड कटनी पं. क्र. 198, दिनांक 6 जून, 2014 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंक/परिसमापन/348, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी।

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुये संस्था जय माँ काली महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., व्यंकट, वार्ड कटनी पं. क्र. 198, दिनांक 6 जून, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(126-G)

कटनी, दिनांक 31 अक्टूबर, 2015

क्र./सपंक/परि./15/1571.—शिव महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., आचार्य विनोवा भावे, वार्ड कटनी पं. क्र. 201, दिनांक 6 जून, 2014 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंक/परिसमापन/351, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी।

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुये संस्था शिव महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., आचार्य विनोवा भावे, वार्ड कटनी पं. क्र. 201, दिनांक 6 जून, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(126-H)

कटनी, दिनांक 31 अक्टूबर, 2015

क्र./सपंक/परि./15/1572.—बालडोली बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नदीपार कटनी, पं. क्र. 218, दिनांक 6 जून, 2014 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंक/परिसमापन/367, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी।

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुये संस्था बालडोली बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नदीपार कटनी, पं. क्र. 218, दिनांक 6 जून, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(126-I)

कटनी, दिनांक 26 दिसम्बर, 2015

क्र./सपंक/परि./15/1742.—शिव ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., राजीवगांधी वार्ड, कटनी पं. क्र. 195, दिनांक 6 जून, 2014 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंक/परिसमापन/345, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी।

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुये संस्था गुरु शिव ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., राजीवगांधी, वार्ड कटनी पं. क्र. 195, दिनांक 6 जून, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(126-J)

कटनी, दिनांक 26 दिसम्बर, 2015

क्र./सपंक/परि./15/1743.—गुरूकृपा उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., रघुनाथ गंज, वार्ड कटनी पं. क्र. 167, दिनांक 6 जून, 2014 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंक/परिसमापन/317, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी।

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुये संस्था गुरूकृपा उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., रघुनाथ गंज, वार्ड कटनी पं. क्र. 167, दिनांक 6 जून, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(126-K)

भरत कुमार मोदी,
सहायक पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 से कार्यालय

पत्र क्रमांक 3957, 3962, 3960, 3958, उज्जैन दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	चिकित्सा संसार सहकारी साख संस्था मर्या., उज्जैन	1691/28-07-2006
2.	श्री सांवरिया सहकारी साख संस्था मर्या., उज्जैन	131/15-10-2010
3.	पंचरत्न सहकारी साख संस्था मर्या., उज्जैन	1768/09-05-2011
4.	भविष्य निधी सहकारी साख संस्था मर्या., उज्जैन	16/27-11-2001

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का निर्धारित समयावधि में संस्था के किसी भी पदाधिकारी द्वारा न तो कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत दिनांक 12 नवम्बर, 2015 तक कार्यालय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन किया गया. कार्यालयीन दस्तावेजों का अवलोकन किया गया. अवलोकन करने पर पाया कि संस्था अकार्यशील होकर बंद एवं वर्तमान में पंजीकृत पते पर नहीं होने से स्पष्ट है कि संस्था पदाधिकारी एवं सदस्यगण संस्था को चलाना नहीं चाहते हैं. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ. तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	चिकित्सा संसार सहकारी साख संस्था मर्या., उज्जैन	1691/28-07-2006	श्री व्ही. के. जोशी, उप-अंकेक्षक.
2.	श्री सांवरिया सहकारी साख संस्था मर्या., उज्जैन	131/15-10-2010	श्री व्ही. के. जोशी, उप-अंकेक्षक.
3.	पंचरत्न सहकारी साख संस्था मर्या., उज्जैन	1768/09-05-2011	श्री व्ही. के. जोशी, उप-अंकेक्षक.
4.	भविष्य निधी सहकारी साख संस्था मर्या., उज्जैन	16/27-11-2001	श्री व्ही. के. जोशी, उप-अंकेक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 29 दिसम्बर, 2015 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(130)

मनोज जायसवाल,
उप-पंजीयक.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 फरवरी 2016-माघ 30, शके 1937

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 21 अक्टूबर, 2015

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के अनूपपुर, अलीराजपुर, मण्डला जिले को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील कोतमा (अनूपपुर), जोवट, कट्टीवाड़ा, च. शेखर आ. नगर, (अलीराजपुर), बिछिया (मण्डला) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील सोण्डवा (अलीराजपुर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, सागर, सतना, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, मंदसौर, उज्जैन, शाजापुर, भोपाल, जबलपुर, कटनी, डिण्डोरी, सिवनी में रबी फसलों की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला श्योपुर, ग्वालियर, सागर, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, मंदसौर, उज्जैन, आगर, शाजापुर, जबलपुर व सिवनी में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**—

5. **कटाई.**—जिला मण्डला, डिण्डोरी में फसल धान व सीहोर में सोयाबीन व दमोह में सोयाबीन, धान व दतिया में तिल, उड़द, मूँग व पन्ना, सीधी, खरगौन, कटनी व सिवनी में खरीफ फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, सतना, शहडोल, अनूपपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, जबलपुर, सिवनी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 21 अक्टूबर, 2015

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह				
2. पोरसा				
3. मुरैना				
4. जौरा				
5. सबलगाढ़				
6. कैलारस				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, बाजरा, ज्वार, तिल, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर				
2. कराहल				
3. विजयपुर				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर				
2. भिण्ड				
3. गोहद				
4. मेहगांव				
5. लहार				
6. मिहोना				
7. रौन				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गन्ना अधिक. उड़द, मूँगमोठ, तुअर, मूँगफली कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर				
2. डबरा				
3. भितरवार				
4. घाटीगांव				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई व तिल, उड़द, मूँग की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, उड़द, तिल, मूँगफली, सोयाबीन, गन्ना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा				
2. दतिया				
3. भाण्डेर				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी				
2. पिछोर				
3. खनियाधाना				
4. नरवर				
5. करैरा				
6. कोलारस				
7. पोहरी				
8. बदरवास				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. मुँगावली	..		4. (1) सोयाबीन, मक्का, गन्ना अधिक. उड़द कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	..		(2) ..		
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
*जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गुना	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. राधोगढ़	..		(2) ..		
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..		4. (1) ज्वार बिगड़ी हुई. गन्ना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		(2) ..		
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. ओरछा	..				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. लोण्डी	..		4. (1) तिल अधिक. तुअर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..		(2) ..		
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामलहरा	..				
8. बकस्वाहा	..				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	..		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन, तिल.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	..		(2) ..		
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	..		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों, उड़द, मूँग, अरहर, तिल, मूँगफली, सोयाबीन समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बण्डा	..				
4. सागर	..				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन, धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) ज्वार, सोयाबीन, उड़द, तुअर, मूँग, मक्का, धान, तिल सुधरी हुई. (2) उपरोक्त फसलों सुधरी हुई.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, सोयाबीन, उड़द, तिल कम. तुअर समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	..				
2. मझगवां	..				
3. रामपुर-बधेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. बिरसिंहपुर	..				
*जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. त्यौंथर	..				
2. सिरमौर	..				
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकर्चुलियान	..				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, मक्का, को. कुटकी, सोयाबीन, तुअर, उड़द कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहारी	..				
3. जैसिहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, तुअर, कोदों-कुटकी, राई, अलसी, चना कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..				
2. अनूपपुर	..				
3. कोतमा	1.5				
4. पुष्पराजगढ़	..				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मक्का, तिल, को. कुटकी, मूँगफली, तुअर अधिक. धान, ज्वार, मूँग, उड़द, बाजरा, रामतिल कम. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. बांधवगढ़	..				
2. पाली	..				
3. मानपुर	..				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) चना, अलसी, राई, सरसों कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	..				
2. सिंहावल	..				
3. मझौली	..				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	..				
6. रामपुरनैकिन	..				
*जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. चितरंगी	..				
2. देवसर	..				
3. सिंगरौली	..				
जिला मन्दासौर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) सोया- अधिक. मक्का कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	..				
2. भानपुरा	..				
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मन्दासौर	..				
6. श्यामगढ़	..				
7. सीतामऊ	..				
8. धुन्धडका	..				
9. संजीत	..				
10. कयामपुर	..				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, मक्का अधिक. तिल, तुअर, मूँगफली कम. उड़द समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावद	..				
2. नीमच	..				
3. मनासा	..				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, कपास समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावरा	..				
2. आलोट	..				
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..				
2. महिदपुर	..				
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
जिला आगर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बड़ौदा	..				
2. सुसनेर	..				
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	..				
2. शाजापुर	..				
3. शुजालपुर	..				
4. कालापिपल	..				
5. गुलाना	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला देवास :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सोनकच्छ	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. टोंकखुर्द	..		(2) ..		
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
*जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. थांदला	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. मेघनगर	..		(2) ..		
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	0.9		4. (1) मक्का, मूँगफली, सोयाबीन, अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	..		ज्वार, बाजरा, उड़द, कपास	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	4.3		तुवर कम.		
4. सोण्डवा	28.0		(2) ..		
5. उदयगढ़	..				
6. च. शे. आ. नगर	2.8				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. बदनावर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	..				
4. महू	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..		4. (1) मक्का, बाजरा, मूँगफली, अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	..		राई-सरसों अधिक. ज्वार, धान,	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	..		तुअर, गेहूँ, चना कम.		
4. खरगौन	..		(2) ..		
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना अधिक. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वानी	..				
2. ठीकरी	..				
3. राजकोट	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
*जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. खण्डवा	..				
2. पंधाना	..				
3. हरसूद	..				
जिला बुझानपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) कपास, मूँगफली सुधरी हुई. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..				
2. खकनार	..				
3. नेपानगर	..				
*जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. जीरापुर	..				
2. खिलचीपुर	..				
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचौर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) सोयाबीन, उड़द. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लटेरी	..				
2. सिरोँज	..				
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मूँग, मक्का, धान, मूँगफली, तुअर अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..				
2. बैरागढ़	..				
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद,	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सीहोर	..				
2. आष्टा	..				
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	..		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदों- कुटकी, तुअर, उड़द, मूँग, तिल, मूँगफली, सोयाबीन, गन्ना.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	..		(2) ..		
3. बेगमगंज	..				
4. गौहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	..		(2) ..		
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..		4. (1) धान, सोयाबीन अधिक. मूँगमोठ, उड़द कम. तुअर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	..		(2) ..		
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढी	..				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. हरदा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. ..
2. खिड़किया	..		(2) ..		
3. टिमरनी	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	..		4. (1) धान अधिक. मूँग, उड़द, सोयाबीन, तिल, तुअर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	..		(2) ..		
3. जबलपुर	..				
4. मझौली	..				
5. कुण्डम	..				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई व खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	..		4. (1) धान, तिल, तुअर, कोदों, मक्का, ज्वार, मूँग, उड़द.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	..		(2) ..		
3. विजयराघौगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, सोयाबीन, धान, उड़द, गन्ना, मूँग. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	..				
2. करेली	..				
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मक्का, सन, तिल, धान, उड़द, तुअर, कोदों-कुटकी, सोयाबीन. समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास	..				
2. बिछिया	2.5				
3. नैनपुर	..				
4. मण्डला	..				
5. घुघरी	..				
6. नारायणगंज	..				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई व धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, कोदों-कुटकी, तुअर, उड़द, रामतिल समान. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	..				
2. बजाग	..				
3. शाहपुरा	..				
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, धान अधिक. सोयाबीन कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	..				
2. जुन्नारदेव	..				
3. परासिया	..				
4. जामई (तामिया)	..				
5. सोंसर	..				
6. पांडुर्णा	..				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चाँद	..				
9. चौरई	..				
10. बिछुआ	..				
11. हरई	..				
12. मोहखेड़ा	..				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी की बोनी व खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मक्का, तुअर, उड़द, मूँगफली, तिल, सन् अधिक. धान, ज्वार, को. -कुटकी, सोयाबीन, गन्ना कम. मूँग समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी	..				
2. केवलारी	..				
3. लखनादौन	..				
4. बरघाट	..				
5. उरई	..				
6. घंसौर	..				
7. घनोरा	..				
8. छपारा	..				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..				
2. लाँजी	..				
3. बैहर	..				
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				

टीप.— *जिला गुना, रीवा, सिंगरौली, देवास, झाबुआ, खण्डवा, राजगढ़ से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.